Patil, Shri T. A.
Patodia, Shri D. N.
Pradhani, Shri K.
Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Radhabai, Shrimati B.
Raghu Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Ram, Shri T.
Ram Dhan, Shri
Ram Swarup, Shri
Ramji Ram, Shri
Randhir Singh, Shri
Ranga, Shri
Rao, Shri Jaganath
Rao, Dr. K. L.
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri J. Ramapathi
Rauti, Shri Bhola
Reddy, Shri Ganga
Reddy, Shri M. N.
Reddy, Shri R. D.
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saleem, Shri M. Yunus
Salve, Shri N. K. P.
Samanta, Shri S. C.
Sankata Prasad, Dr.
Sapre, Shrimati Tara
Savitri Shyam, Shrimati
Sayeed, Shri P. M.
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Shri Beni Shanker
Sharma, Shri Madhoram
Sharma, Shri Naval Kishore
Shastri, Shri Prakash Vir
Shastri, Shri Raghuvir Singh
Shastri, Shri Sheopujan
Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shinkre, Shri
Shiv Chandika Prasad, Shri
Shukla, Shri S. N.
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddheshwar Prasad, Shri
Sinha, Shri Satya Narayan
Sonar, Dr. A. G.
Sonavane, Shri
Supakar, Shri Sradhakar
Suraj Bhan, Shri
Sursingh, Shri
Suryanarayana, Shri K.
Tiwary, Shri D. N.
Tiwary, Shri K. N.
Uikey, Shri M. G.
Verma, Shri Balgovind
Verma, Shri Prem Chand
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Yadav, Shri Chandra Jeet

MR. SPEAKER : The result* of the division is :

Ayes : 34
Noes : 176

The motion was negatived.

16.35 hrs.

STATE OF HIMACHAL PRADESH BILL

MR. SPEAKER : We will pass this Bill as soon as possible today, so that it could go to Rajya Sabha tonight. There is not much of controversy about it. The hon. Minister. He may formally move it and then make his speech.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF STATE, DEPARTMENTS OF ELECTRONICS AND SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (SHRI K. C. PANT) : Sir, I beg to move.†

"That the Bill to provide for the establishment of the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith, be taken into consideration."

*The following member also recorded their votes :

Ayes : Shri Madhu Limaye ;

Noes : Shri Siddayya, Shrimati Laxmi Bai and Sarvashri Anantrao Patil and C. Muthusami.

†Moved with the recommendation of the President.

Mr. Speaker, Sir, before I go into the details of the Bill, I would briefly go through the various stages of the Constitutional development of Himachal Pradesh. On the 15th of April, 1948, Himachal Pradesh was made an administrative entity under a Chief Commissioner. At that time it had an area of 10,600 sq. miles, with a population of 9.35 lakhs and a revenue of Rs. 85 lakhs. Under the Constitution it became a Part-C State. It was given a Council of Ministers and a Legislative Assembly, from 1st April, 1952.

The States Reorganisation Commission in its majority report recommended the merger of Himachal Pradesh with the adjoining State of Punjab. However, considering the need for maintaining the pace of development, Government of India decided to continue it as a Centrally-administered unit. With the passing of the States' Reorganisation Bill in 1956 the legislature and the Council of Ministers were abolished in the Union Territory.

In August, 1957, a Territorial Council was set up in Himachal Pradesh. The question of administrative set-up of the Union Territory was further gone into when Goa, Daman and Diu and Pondicherry also became part of the Indian Union. Finally, after amending the Constitution, a law was enacted to give Council of Ministers and Legislative Assemblies to Himachal Pradesh and four other Union Territories.

This change came into force in Himachal Pradesh from 1st July, 1963. This arrangement continues to be in force in Himachal Pradesh. As a result of Reorganisation of Punjab, large areas were added to Himachal Pradesh from 1st November, 1966.

The present area of Himachal Pradesh is 21,629 sq. miles and its population, according to 1961 census is 28.12 lakhs. Its domestic revenue is now over Rs. 20 crores. Under Central Administration the Union Territory has made considerable progress.

During the last 22 years, the demand for Statehood has come up from this area from, time to time. This House discussed this matter in March last year, when practically all sections of the House expressed the view that Himachal Pradesh should be made into a State.

We took note of these sentiments and thereafter made a detailed study of the problem. On 31st July, 1970, the Prime Minister announced in this House Government's decision to grant Statehood to Himachal Pradesh.

On September 3, 1970, we assured the House that the legislation would be brought forward during this session.

This Bill has been placed before the House in fulfilment of this assurance.

Now, I come to the provisions of the Bill. Clause 3 establishes the new State of Himachal Pradesh, comprising the territories in the existing Union territory. Parliament is empowered by article 2 of the Constitution to establish this State. The rest of the provisions of the Bill are mainly supplemental, and consequential.

I shall briefly take this House through these provisions which are generally modelled on other State reorganisation laws. Clause 4 includes Himachal Pradesh among the States of the Indian Union, making it the 18th State. Clauses 5 to 20 deal with representation in the Parliament for the new State and its legislature and the other connect matters.

At present, there are three seats in the Rajya Sabha for the Union territory of Himachal Pradesh. It is proposed to allot the same number of seats to the new State. The three sitting Members from Himachal Pradesh in the Rajya Sabha will be deemed to have been duly elected by the members of the legislature of the new State and will represent the new State for their unexpired term. Clauses 5 to 7 achieve this object.

Clauses 8, 9 and 14 deal with the representation of Himachal Pradesh in the Lok Sabha. The Union territory of Himachal Pradesh like other Union territories has been given weightage in its representation in the Lok Sabha. At present, it has six Members in this House, although on the basis of its population of 28.12 lakhs according to the 1961 census, its share would have come to

[Shri K. C. Pant]

3.22 seats. The last Delimitation Commission had allotted Lok Sabha seats to the States in the ratio of one seat for a population of 8.72 lakhs according to the 1961 census. In view of this and the hilly terrai, it is proposed t hat four seats may be allotted to the new State in the House of the People. This will be effective for the constitution of th e next Lok Sabha.

So far as the present Lok Sabha is concerned, we are proposing that the six sitting Members may continue to represent the people of the new State. If we reduce their number immediately to four, some areas will go unrepresented. Therefore, as a transitional and incidental measure, we have provided in clause 9 that for the unexpired term of the present Lok Sabha, the new State will have six seats.

Clauses 10 to 13 and clause 15 deal with the Legislative Assembly of the new State of Himachal Pradesh. At present, the legislative assembly of the Union territory of Himachal Pradesh has 60 members elected from territorial constituencies and 3 members nominated by the Central Government. When Himachal Pradesh becomes a State, nominations would not be permissible, except under article 333 which relates to the representation of the Anglo-Indian community. As a transitional measure, we have provided in clauses 10 and 11 that the existing 60 elected Members of the assembly will automatically become the members in the new assembly. The legislative assembly of the new State to be constituted after the expiry of the term of the existing assembly will have 68 elected members. We have proposed this number, having regard to the fact that Himachal Pradesh will lose 2 seats in the Lok Sabha and also three nominated members of the Assembly, and the need for adopting a multiple of the Lok Sabha seats.

There are some amendments suggesting a different number of seats as compared with what has been proposed by us. The number of seats in a State legislative assembly is normally proposed by the Delimitation Commission. Such a Commission is due to be set up after the next general elections, and the representatives of Himachal Pradesh can place their point of view before it. In making this provision in the Bill, we have taken note of the existing position.

The highest multiple so far adopted is 9 in the case of Haryana and Assam. Nagaland is an exception one seat in Lok Sabha and 52 members in its assembly. Among the comparable areas, the strength of the Jammu and Kashmir State assembly has been fixed under the constitution of that State. But even then, it has a strength of 75 as against 6 Lok Sabha seats which gives a multiple of 12½. The hill areas of UP are represented in the legislatures of the State on the basis of a multiple of only 5. The hill areas of West Bengal are given representation on the basis of a multiple of 7, and those of Tamil Nadu on the basis of 6. Even with 68 seats, Himachal Pradesh will have a multiple of 17. This cannot be regarded as inadequate by any standards.

Cl. 21-32 relate to the High Court of the new State. At present, the jurisdiction of the Delhi High Court extends to the Union Territory of Himachal Pradesh. There are now 17 Judges in the Delhi High Court, of whom two sit on a Bench in Simla. If it becomes necessary to allocate one or more of these Judges to the new Court, Cl. 22(1) makes an enabling provision in this behalf.

Cl. 33-36 deal with the outhorisation of expenditure and distribution of revenues. It will take some time for the new State to prepare its budget and have it approved by the State legislature. But in the meantime, the Government of the new State should have adequate authority to incur expenditure from its Consolidated Fund. Provision has, therefore, been made in Cl. 33 that before the new State comes into existence, the President may by order authorise expenditure from the Consolidated Fund of the State for a period of six months. If further funds are needed during this period, the Governor will make authorisation. Provision has also been mude in Cl. 35 to enable the President to determine by order the allowances and privileges of the Governor of the new State.

The share of the new State in the Central taxes and the grant in aid to be given to it

until the next Finance Commission determines these amounts will be prescribed by a Presidential order as envisaged in Cl. 36.

Clauses 37-38 relate to transfer of the assets and liabilities of the new State. Cl. 39—45 relate to the services. In Cl. 39, provision has been made for establishing separate cadres of three all-India services, the IAS, IPS and Indian Forest Service for the new State and for allocating to these cadres officers of the corresponding existing Union Territories cadres of these services. Cl. 40 provides for allocation to the new State of officers of the State level, civil service and police service, which are at present common to Delhi, HP and the Andaman and Nicobar Islands. This clause also provides for deputation for a period not exceeding three years to the new State of officers of the Central Health Service who are at present holding posts in the Union Territory of HP.

In Cl. 41, provision has been made that persons who are at present serving under the administrative control of the Administrator of the Union Territory of HP shall unless otherwise directed by the Central Government, stand allocated to the new State. Cl. 42 provides that the conditions of service of these employees and members of the State level civil and police services allocated to the new State should not be varied to their disadvantage without the previous approval of the Central Government.

In Cl. 44, provision has been made for the establishment of one or more advisory committees by the Central Government for the purpose of assisting it in the discharge of its functions relating to the services.

Cl. 46—54 contain certain legal and miscellaneous provisions. According to Article 210(1) of the Constitution, the business of the State legislature can be transacted in the official language of the State or in Hindi or English. Unless the State legislature passes a law to the contrary, the business cannot be transacted in English 15 years after the commencement of the Constitution (Article 210(2)). As 15 years are over, the legislature of the new State cannot transact its business in English. Cl. 46 seeks to extend the period of 15 years to 25 years so that the new State can take a decision on this issue during the next five years.

Cl. 47-48 make consequential amendments in Section 15 of the States Reorganisation Act 1956 by including the new State among the States represented in the Northern Zonal Council and the Government of Union Territories Act, 1963, by omitting references to the Union Territory of Himachal Pradesh.

Cl. 49—54 make the usual provisions regarding continuance of the existing laws, adoptation of those laws and their interpretation by courts etc. These provisions follow the corresponding provisions of the provious Reorganisation Acts.

I commend this Bill to the House.

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to provide for the establishment of the State of Himachal Pradesh and for matters connected there with, be taken into consideration."

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : स्पीकर साहब, देर आयद दुरुस्त आयद। अगरचे सरकार ने हिमाचल की जो कांशंस की पुकार थी काफी देर तक उस पर अमल नहीं किया, उनको उनके हक से महरूम रखा, उसके बावजूद भी आज मेरे अजीज श्री पन्त यह बिल यहां लाये हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं और उनकी नीयत और फराखदिली जो आज वह हिमाचल प्रदेश के लिये दिखला रहे हैं··

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : अध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिये, इस चर्चा के लिये कितना टाइम है ?

MR. SPEAKER : As I have already said, we want to pass this Bill in 1½ hours at two hours at the most. The speeches should be very briefly say five to seven minutes.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : पूरा समय मिलना चाहिये, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोसीजर को तोड़ कर के इसको पास करने की कोशिश की जाये।

श्री अब्दुल गनी डार : मैं अर्ज कर रहा था कि इसकी हर बात का मैं स्वागत करता हूं इसलिए भी स्वागत करता हूं कि आप उनको हाईकोर्ट देने जा रहे हैं।

[श्री अब्दुल गनी डार]

16.52 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*

स्पीकर साहब, वह एक ऐसा इलाका है, जो एक वक्त बड़े पंजाब का हिस्सा था। उसके बाद मुल्क की तकसीम के साथ-साथ पंजाब के दो हिस्से हुए, उस वक्त भी वह पंजाब का हिस्सा रहा। लेकिन उनका कहना यह था कि उनके साथ उनके डेवलपमेंट में, उनकी तरक्की में इन्साफ नहीं होता है लिहाजा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अलग किया। कुछ देर के बाद उसको फिर तोड़ दिया, अब फिर उसको जोड़ दिया तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज सरकार उनको उनका हक देने जा रही है। हाई कोर्ट देने से उनको इन्साफ लेने में आसानी होगा और जो दिक्कतें इस सिलसिले में उनको पहले होतीं थीं, वे अब नहीं होंगी। जहां तक खर्चे का ताल्लुक है, उसमें जो मुश्किलात आयेंगी, उनके लिए आप राष्ट्रपति के जरिये वहां के गवर्नर को अधिकार देने जा रहे हैं यह भी बहुत मुबारक कदम है, क्योंकि आप उनकी डेवलपमेंट के लिये ऐसा करना चाहते हैं।

आपने अभी कुछ आंकड़े दिये—उनकी आबादी के आंकड़े दिये, उनके एरिया के आंकड़े दिये, फिर हिन्दुस्तान के मुखतलिफ हिस्सों से कितने कितने मेम्बर यहां आते हैं उनका जिक्र किया इसके लिये भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि जो छः मेम्बर्ज उस इलाके से यहां मौजूद हैं, उनको कायम रखने के लिये आपने बिल में यकीन दिला दिया है, क्योंकि यह बात गलत थी कि जो चुनकर आये हैं उनको आप कहें कि इस वक्त फिर से लौटरी पड़े, कोई रह जाय और कोई चला जाय इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पाया कि आप वहां के हाउस की तादाद क्यों बढ़ा रहे हैं। इस वक्त वह हाउस 60 सीटों से बना हुआ है, उनके हल्के बने हुए हैं, 60 मेम्बरों की हुकूमत कोई कम हुकूमत नहीं है, क्योंकि वहां जो पंचायत वाले हैं, उनकी जो समिति है, बहुत सी जगहों पर उनकी आबादी 58 हजार है, जबकि इस प्रावीजन के मुताबिक हल्के की आबादी 40 हजार रह जाती है। इसलिये मैं यह नहीं समझ पाया कि आप मेम्बरों की तादाद क्यों बढ़ा रहे हैं? हमारा हरियाणा का जो तजुर्बा है कि एक ही दिन में दर्जनों वजीर बढ़ा दिये गये और शायद एक मेम्बर के हिस्से में एक वजीर आता था तो क्या हिमाचल में आप इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वहां भी कुछ वजीरों की फौज खड़ी करनी है? मेरा ख्याल है कि अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इस तादाद को न बढ़ायें।

जनाब, काश्मीर का सेव दुनिया में मशहूर था, काश्मीर का हाथ का काम दुनिया में मशहूर था, आपने हिमाचल में भी सेव की फसल को तरक्की देकर, वहां के फलों को तरक्की देकर उस इलाके की एक बहुत बड़ी खिदमत की है, चाहे उसमें मेरी बहन इन्दिरा जी का भी अपना कोई बाग आता हो, लेकिन आपने खिदमत की और उसका फायदा यह हुआ कि फलों की एक्सपोर्ट में जहां काश्मीर को कुछ फायदा पहुंचता था, अब कम पहुंचेगा, लेकिन हिमाचल के भाइयों और बहनों को फायदा पहुंचा।

इसलिये मैं फिर आपसे मोदबाना अर्ज करना चाहता हूं कि आप वहां की सीटों को न बढ़ायें। सीटों के बढ़ाने का मतलब यह होगा कि नये सिरे से उनका डेवलपमेंट रुक जायगा, क्योंकि मेम्बरों के बढ़ाने से पहले उनका इलैक्शन कीजिए· ·

चेयरमैन साहब, आप नहीं बोलने देना चाहते तो मैं बैठ जाता हूं। पहले आप बोलने का मौका देते हैं, फिर कहते हैं कि बोला नहीं। मैं तो आपका हुकम मानूंगा, मैं उनमें नहीं हूं जो हुकम नहीं मानते, लेकिन बच्चों की तरह टल्ली बजा देना, जैसे स्कूल मास्टर बजाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता।

[شری عبدالغنی ڈار (گوڑگاؤں) اسپیکر صاحب ۔ دیر آید درست آید ۔ اگرچہ سرکار نے ہماچل پردیش کی جو کونسٹیٹیوشن کی پکار تھی کافی دیر تک اس پر عمل نہیں کیا ۔ ان کو ان کے حق سے محروم رکھا ۔ اس کے باوجود بھی آج میرے عزیز شری پنت یہ بل یہاں لائے ہیں ۔ تو میں اس کا سواگت کرتا ہوں ۔ اور ان کی نیت اور فراخدلی جو آج وہ ہماچل پردیش کے لئے دکھا رہے ہیں ......

شری عبدالغنی ڈار ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی ہر بات کا میں سواگت کرتا ہوں کہ آپ ان کو ہائی کورٹ دینے جا رہے ہیں ۔

اسپیکر صاحب ۔ وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو ایک وقت بڑے پنجاب کا حصہ تھا ۔ اس کے بعد ملک کی تقسیم کے ساتھ ساتھ پنجاب کے دو حصے ہوئے اس وقت بھی وہ پنجاب کا حصہ رہا لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے ساتھ ان کے ڈویلپمنٹ میں ان کی ترقی میں انصاف نہیں ہوتا ہے ۔ لہذا سرکار نے ہماچل پردیش کو الگ کیا ۔ کچھ دیر کے بعد اس کو پھر توڑ دیا ۔ اب پھر اس کو جوڑ دیا ۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج سرکار ان کو ان کا حق دینے جا رہی ہے ۔ ہائی کورٹ دینے سے ان کو انصاف لینے میں آسانی ہوگی ۔ اور جو دقتیں اس سلسلے میں ان کو پہلے ہوتی تھیں وہ اب نہیں ہوں گی ۔ جہاں تک خرچہ کا تعلق ہے اس میں جو مشکلات آئیں گی ان کے لئے آپ راشٹرپتی کے ذریعہ وہاں کے گورنر کو ادھیکار دینے جا رہے ہیں ۔ کیونکہ آپ ان کی ڈویلپمنٹ کے لئے ایسا کرنا چاہتے ہیں ۔

آپ نے ابھی کچھ آنکڑے دیئے ۔ ان کے ایریہ کے آنکڑے دیئے ۔ پھر ہندوستان کے مختلف حصوں سے کتنے کتنے ممبر یہاں آئے ہیں ان کا ذکر کیا اس کے لئے بھی میں آپ کا شکرگزار ہوں جو چھ (6) ممبر اس علاقہ سے یہاں موجود ہیں ان کو قائم رکھنے کے لئے آپ نے بل میں یقین دلایا ہے ۔ کیونکہ یہ بات غلط تھی کہ جو چن کر آئے ہیں آپ کہیں کہ اس وقت پھر سے لوٹری پڑے ۔ کوئی رہ جائے اور کوئی چلا جائے اس کے لئے بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ۔ لیکن ایک بات میں میں سمجھ پایا کہ آپ وہاں کے ہاؤس کی تعداد کیوں بڑھا رہے ہیں ۔ اس وقت وہ ہاؤس 60 سیٹوں سے بنا ہوا ہے ۔ ان کے حلقے بنے ہوئے ہیں ۔ ساٹھ ممبروں کی حکومت کوئی کم حکومت نہیں ہے ۔ کیونکہ وہاں جو پنجاب والے ہیں ان کی جو سمتی ہے ۔ بہت سی جگہوں پر ان کی آبادی ۵۰ ہزار ہے ۔ جب کہ اس پرووِیژن کے مطابق حلقے کی آبادی ۴۰ ہزار رہ جاتی ہے ۔ اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ ممبروں کی تعداد کیوں بڑھا رہے ہیں ۔ ہمارا ہریانہ کا جو تجربہ ہے کہ ایک ہی دن میں درجنوں وزیر بڑھا دیئے گئے ۔ اور شاید ایک ممبر کے حصے میں ایک وزیر آتا تھا ۔ تو کیا ہماچل پردیش میں آپ اس لئے بڑھا رہے ہیں کہ وہاں بھی کچھ وزیروں کی فوج کھڑی کرنی ہے ۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ڈویلپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس تعداد کو نہ بڑھائیے ۔

جناب ۔ کشمیر کا سیب دنیا میں مشہور تھا ۔ کشمیر کا ہاتھ کا کام دنیا میں مشہور تھا ۔ آپ نے ہماچل پردیش میں بھی سیب کی فصل کو ترقی دے کر وہاں کے پھلوں کو ترقی دے کر اس علاقے کی بہت بڑی خدمت کی ہے ۔ جہاں اس میں میری بہن اندرا جی کا بھی کوئی باغ آتا ہے ۔ لیکن آپ نے خدمت کی اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھلوں کی ایکسپورٹ میں جہاں کشمیر کو کچھ فائدہ پہنچتا تھا ۔ اب کم پہنچے گا ۔ لیکن ہماچل پردیش کے بھائیوں اور بہنوں کو فائدہ پہنچے ۔

اس لئے میں پھر آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ وہاں کی سیٹوں کو نہ بڑھائیں ۔ سیٹوں کے بڑھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ نئے سرے سے ان کا ڈویلپمنٹ رک جائے گا ۔ کیونکہ ممبروں کے بڑھانے سے پہلے ان کا الیکشن کیجئے ......

چیرمین صاحب ۔ آپ نہیں بولنے دینا چاہتے تو میں بیٹھ جاتا ہوں ۔ پہلے آپ بولنے کا موقعہ دیتے ہیں ۔ پھر کہتے ہیں کہ بولو نہیں ۔ میں تو آپ کا حکم مانوں گا ۔ میں ان میں نہیں ہوں جو حکم نہیں مانتے ۔ لیکن بچوں کی طرح سے گھنٹی بجا دینا جیسے اسکول ماسٹر ہوتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا ۔]

श्री प्रताप सिंह (शिमला) : सभापति महोदय, आजादी के 24 सालों के बाद यह पहला मौका है कि आप हिमाचल प्रदेश की यूनियन टैरिटरी को स्टेट का दर्जा देने जा रहे हैं। दूसरी यूनियन टैरिटरीज के मसले भी आप के जेरे-गौर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको भी आप जल्द स्टेट का दर्जा देंगे। इस मौके पर अपनी महबूब-नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी, पंत जी और इस सदन के जो सदस्य दोनों तरफ बैठे हुए हैं, उन को अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश के पार्लियामेन्ट के मेम्बरों की तरफ से, हिमाचल असेम्बली के मेम्बरों की तरफ से और हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हिमाचल की जनता की भावनाओं को, उन के चढ़ते हुए जोश को अच्छी तरह से समझा और समझ कर ही इस बिल को आज सदन में पेश करने जा रहे हैं।

सभापति जी, हम आप को भी मुबारकबाद देते हैं, आज आप की अध्यक्षता में हम इस बिल को पास करने जा रहे हैं, आपका भी हिमाचल की जनता हमेशा ध्यान रखेगी। आप सब जानते हैं कि आज हिमाचल की जनता ने डा० वाई० एस० परमार की रहनुमाई में चल कर इतनी बड़ी मन्जिल तय की है, बगैर किसी आन्दोलन के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, इस लिए मैं उनको भी इस हाउस में बधाई देना चाहता हूं, वह भी बधाई के पात्र हैं। मैं दोनों हाउसेज से अपील करता हूं, सब नेताओं से अपील करता हूं, भारतवर्ष के हर नागरिक से अपील करता हूं कि वह इन से सबक सीखे, हमारे डा० परमार ने किस खुशअसलूबी से डेमोक्रेटिक तरीके से हिमाचल के लिए स्टेट का दर्जा हासिल किया है। हम चाहते कि भारतवर्ष के सब लोग इसी तरह से डेमोक्रेटिक तरीकों पर चलें, लड़ाई झगड़ा और तोड़ फोड़ को छोड़ दें, इसी रास्ते पर चल कर हम अपनी मन्जिल पर पहुंच सकते हैं। अगर हम हिमाचल के इतिहास पर नजर डालें तो मालूम हो जायगा कि यह मांग उस समय से थी, जब कि स्टेट्स मर्ज हुई थीं। उस समय भी राजाओं ने यह मांग की थी कि पहाड़ी स्टेट्स को मिला कर एक अलग स्टेट बनाई जाय। यहां पर 26 जनवरी, 1948 का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, जब डा० वाई० एस० परमार स्टेट पियुपिल्ज कान्फ्रेंस के पहाड़ी इलाके के प्रेजिडेन्ट थे, उस वक्त एक जलसा राणा जंग बहादुर सिंह की अध्यक्षता में शिमला के गंज के मैदान में हुआ, उस वक्त धीमे-धीमे बरफ गिर रही थी, धीमे-धीमे ठण्डी हवा चल रही थी, उस वक्त एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि हमें हिमाचल प्रदेश को अलग रख कर उसके लिये स्टेट का दर्जा हासिल करना है। यही नहीं उस वक्त ट्रिब्यून, मिलाप, प्रताप अखबारों के जो एडीटोरियल निकले, उनको भी मुबारकबाद देना जरूरी हो जाता है, उन्होंने हमेशा पहाड़ी स्टेट की मांग को सपोर्ट किया। मैं उनको भी मुबारिकबाद देता हूं।

17 hrs.

इसके बाद मैं सन् 1948 की बात याद दिलाना चाहता हूं जबकि सरदार पटेल श्री पट्टाभि सीतारमैया को एक चिट्ठी में लिखा था : -

> "In the final stage after this area is sufficiently developed in its resources and administration, it is proposed that its constitution should be similar to that of any other province."

यही नहीं, 29 अगस्त, 1951 को इसी सदन में जब पार्ट-सी स्टेट्स पर बहस हो रही थी तो श्री गोपालास्वामी आयंगर ने कहा था कि पार्ट-सी स्टेट्स दूसरे इलाकों के साथ मर्ज हो जानी चाहिए लेकिन हिमाचल प्रदेश को उन्होंने सपोर्ट किया था और कहा था इसको अलग रहना चाहिए और पूरी स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए।

इसके बाद जनवरी, 1968 में हिमाचल प्रदेश की असेम्बली ने इत्तफाक राय से प्रस्ताव पास किया था कि हिमाचल प्रदेश को पूरी स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए और उसकी ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया था। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता डा० परमार की अध्यक्षता में लगातार आगे बढ़ती गई। हमारी यह मांग हमेशा डिमोक्रैटिक तरीके से ही रखी गई है। इस बात के लिए मैं वहां की अपनी जनता को भी बधाई देता हूं। पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी इस बात में हिमाचल प्रदेश को बल दिया था कि उसको पूरी स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी अब उस मांग को पूरा करने जा रही हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से उनके महान आभारी हैं और इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं।

इस मौके पर मुझे एक चीज का खास तौर पर जिक्र करना है। आजादी हासिल करने के लिए इस पहाड़ी इलाके को बहुत से संग्राम करने पड़े जिनमें से खास तौर पर सुकेत सत्याग्रह उसकी एक झांकी है जिसको कि हिमाचल प्रदेश के निवासी कभी भूल नहीं सकते हैं।

चूंकि अभी एक माननीय सदस्य ने सीट्स का जिक्र किया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1966 में जब विशाल हिमाचल प्रदेश बना तो हमसे कहा गया था कि तुमको असेम्बली के ज्यादा मेम्बरान इसलिए नहीं दिये जाते क्योंकि पार्लमेन्ट में तुमको ज्यादा वेटेज दिया गया है। लेकिन आज वह वेटेज वापिस लिया जा रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के हालात को देखते हुए जहां पर आने जाने के साधन मुश्किल हैं वहां पर सीट्स और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में मैंने जो अमेन्डमेन्ट दिया है उसको मंजूर किया जाना चाहिए।

वैसे अभी कहने के लिए बातें तो बहुत हैं लेकिन आप भी जल्दी में हैं और हम भी जल्दी में हैं कि यह बिल पास हो इसलिए मैं आखीर में एक बार फिर धन्यवाद देते हुए अपने साथियों से गुजारिश करता हूं कि वे इसको जल्दी पास करें।

SHRI RANGA (Srikakulam): Mr Chairman, I am glad that at long last, the Government has come forward with this Bill. It is one of those Bills which has received universal support. I wish to congratulate the people of Himachal Pradesh, and I am a little envious of them because they have appropriated to themselves a name which is very affectionate to us all. When we think of our culture, when we think of our own Gods, when we begin to pray, Himachal comes very close to our hearts. And they have taken that beloved name for themselves.

But I do not grudge or begrudge this privilege of theirs. I sincerely hope that they will make great success of this State just as they have made a success during the last 15 to 20 years while they were struggling for this privilege.

But the creation of this State now reminds us of many other similar problems which are facing us all over India. When would Government come to take a statesman like view about these problems? The problems of Vidarbha, Telangana, Bihar, M. P. and U. P. are there. Himachal Pradesh is rather light in its population and area. But Maharashtra, UP, Bihar, Andhra Pradesh, etc. are much too heavy. Their people are clamouring for similar status and it would be a good thing if they are also given an opportunity of having similar Statehood.

There is much to be said in favour of big States as well as small States. India cannot come to have only small States or only big ones. We have to get on with this mixture. But how long are we going to carry on with these too heavy loads of these great States? It is unfortunate for the people of the big States that the Central Home Minister happens to come from those States and therefore; their demand for the creation of a number of smaller States in their areas has not received as sympa-

[Shri Ranga]

thetic a consideration as it deserves. When there are a number of small States from a particular area, each one of them will be able to get greater attention than in proportion to their area or population from the Government of India, in the National Development Council, Planning Commission and other organisations that are associated with the Government of India, with the result that they would be able to get more money for development of their under-developed areas as well as their backward people. There is much to be said in these directions in favour of the creation of a number of small States.

I join my hon. friend there in congratulating Mr. Parmar, our good old colleague in the Lok Sabha at one time and now for long the Cheif Minister of Himachal Pradesh. I also wish to congratulate the Members of Parliament coming from that area, particularly my friend, Mr. Prem Chand Varma, who came to associate himself when he was a young man with me and the kisan movement I have been organising in the country. I know on two or three occasions how angry he grew with the Prime Minister and with his own Government and party because they were not responding to the call of the people of Himachal Pradesh for separate Statehood.

I am in agreement with the decision taken by the Government of India with the support of the local Government to reduce the number of MPs from 6 to 4, because although we are in favour of creating those States, we do not like too much of weightage to be given to the parliamentary representation from these small States. It is good they have done it, so that other States, if and when they come into existence, would not ask for any weightage.

Some people have taken objection, not illegitimately, to the increase in the number of the MLAs. I am not opposed to it because I see some virtue in having a large enough number in these legislatures. If the strength of the Assembly is much too small, it leads to too much intrigue and instability. Therefore, it is good their number has been increased to 68.

There are special problems in Himachal Pradesh. Generally speaking, in the past, we used to think that H. P. only meant princes and Maharajas. Thank God, that system has gone. Now peoples' system has come. But let us take care to see that even in the popular regime proper care is taken of the tribal people. I think a large majority, or a substantial percentage, of the people of Himachal Pradesh belong to the tribal sections and Adibasis. I do not know whether out of the six Members of Parliament who have come here any one is an Adibasis. Perhaps none at all. That makes me feel a bit unhappy. I do hope that the usual protection that is being given to the tribal people in the allocation of seats would be made available here also. I hope at the proper time the Minister will assure us how many of the seats are reserved for the tribal people and Adibasis. I also hope that they would be given adequate representation. More than the representation that is given to them, it is the spirit in which the problem is viewed by the MLAs that is more important. The Adibasis are poor, ignorant and undeveloped. Their educational development has been thwarted for a very long time and their holdings are much too small. For a very long time they have been exploited by merchants and other people who have been purchasing their produce. Communications in those regions were almost nil till the other day. They need rapid development. I hope the Central Government will keep a special eye on the steps that would be taken hereafter for their development.

That is why I welcome this innovation of the power being reserved with the Government of India to appoint a number of advisory committees.

SHRI K. C. PANT: That is only for the services.

SHRI RANGA: I would like to have advisory councils for the development of the Adibasis and Scheduled Castes. The whole of that area is backward and it has got to be uplifted and helped to come into its own when compared with the rest of India. In this direction the Government of India cannot do too much. I trust that government would try to see that some special attention is paid to this.

Later on, the Finance Commission will decide the share of Himachal Pradesh out of Central revenues, specially excise and income-tax. Income-tax will not be much except from the salaries of Government officers whose offices are located at Simla. So, the Government of India will have to see that the Finance Commission is enabled to allot them more than in proportion to their population and area, keeping in view the needs and the development of the backward area.

I hope the Government of India would not try to put in spokes in the wheel of progress of of this State any longer. I sincerely trust that democracy will come to succeed there, as well as it has done, and if possible better.

श्री प्रेमचन्द्र वर्मा (हमीरपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इस सदन का की धन्यवाद करता हूं कि जब जब भी कोई मसले हिमाचल प्रदेश के यहां पर आये तब-तब ही सारे सदन ने हमें पूरा सहयोग दिया। केवल लोक सभा ने ही नहीं, राज्य सभा में भी हमें पूरा समर्थन मिला। मैं आज उन सब का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से इस मौके पर क्षमा भी चाहता हूं कि कई बार बड़े सख्त अल्फाज में मैंने सरकार की आलोचना भी की। आखिर वह चीज हमको प्राप्त हो गई है। मैं श्री पन्त को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को यहां पर लाने की पूरी कोशिश की।

आज हिमाचल प्रदेश पूरे राज्य का दर्जा हासिल करने जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि जैसा प्रो० रंगा ने कहा हिमाचल प्रदेश देवताओं की भूमि कहलाती है, मैं तो कहता हूं कि वह केवल देवताओं की भूमि ही नहीं है, उस प्रदेश में जो 30 लाख लोग रहते हैं वह सब के सब देवताओं की तरह से हैं। वह ईमानदार हैं, सच्चे हैं और कोई छल कपट नहीं करते। वहां के लोग वह काम भी नहीं जो बंगाल में होता है, वह लोग वह काम भी नहीं करते जो केरल में हुआ है। हमने हिमाचल प्रदेश को और राज्यों की तरह बड़े राज्य बनाने के लिये जो जंग लड़ी, हमारी विधान सभा ने, हमारे नेताओं ने और वहां की जनता ने आज तक जो लड़ाई लड़ी उसमें हमने किसी भी तरह से तशद्दुद से काम नहीं लिया। या तो कागज से बात की या जबान से बात की। और किसी तरह से नहीं। हमने भी किसी तरह की तशद्दुद नहीं की जिसके लिये मैं हिमाचल के लोगों को, सरकार को और हिमाचल प्रदेश की पोलिटिकल पार्टीज को मुबारकबाद देता हूं। उन सब की कोशिशों के लिये, जिनमें हमारे चीफ मिनिस्टर की कोशिशें भी शामिल हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश 55 लाख मुरब्बा मील का प्रदेश बना है। प्रोफेसर रंगा ने गलती की है। वह सारे केरल से बड़ा है, हरियाणा से भी बड़ा है।

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): Shri Pant said 21,000; he says, 55,000. What is the correct figure?

श्री प्रेमचन्द वर्मा : मेरा कहना ठीक होगा, उनका गलत होगा। उनसे गलती हो गई होगी, मुझसे नहीं हो रही है, 55,000 किलो मीटर है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अगल बगल के राज्यों से नहीं ले रहे हैं।

श्री प्रेमचन्द वर्मा : 55 हजार मुरब्बा किलोमीटर है। इतने बड़े इलाके में चार लोक सभा के मेम्बर होंगे, यानी 14 हजार किलो मीटर को एक मेम्बर रिप्रेजेन्ट करेगा। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि एक मेम्बर के लिये इतनी बड़ी कांस्टिटुएन्सी को कवर करना कितना मुश्किल होगा। भले ही वहां की आबादी 28 या 30 लाख की है, इससे

[श्री प्रेम चन्द वर्मा]

क्या होता है ? मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वह इस के बारे में क्या कर सकते हैं और वह करना चाहिये।

दूसरी बात मैं विधान सभा के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने भी अमेंडमेंट दिये हैं। उनके बारे में कुछ आदमियों ने 68 के बजाय 60 और 48 कहे हैं। मैं समझता हूं कि रिप्रेजेन्टेशन को कम करना उचित नहीं है क्योंकि इतना बड़ा इलाका है। आबादी के हिसाब से 48 या 60 सीटें रखना नामुनासिब है। मैं समझता हूं कि 68 सीटें ही रखी जायें। अगर उनको और बढ़ा सकें तो भी कोई हर्ज नहीं है क्योंकि लोक सभा में 6 के बजाय 4 सीटें दी गई हैं। इस बात का ध्यान रक्खा जाना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लेन का जो खर्च है उसके बारे में। स्टेट का बनाया जाना आसान है, लेकिन आर्थिक तौर पर उसको आगे ले जाना कठिन बात है। हिमाचल प्रदेश पर यह जिम्मेदारी आई है। मैं माननीय श्री पन्त से अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारे प्लैन का हिस्सा है वह हमको मैक्सिमम मिलना चाहिये ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च का सम्बन्ध है और साथ ही साथ तन्खवाहों का जो खर्चा हिमाचल प्रदेश को हमारी सरकार आज दे रही है और जिस तरह से वह वहां के डिफिसिट को पूरा कर रही है, उसको उसे इसी तरह से पूरा करते रहना चाहिये और वह सारे का सारा खर्चा कम से कम आने वाले दस सालों तक उसको मिलता रहना चाहिये ताकि वह स्टेट ठीक तरह से चल सके और उसके सामने कोई मुश्किल पेश न आये।

अब मैं सरकारी कर्मचारियों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। 23 फरवरी को यहां एक आश्वाशन दिया गया था कि थर्ड पे कमिशन जो एप्वाइंट हुई है वह जो सिफारिशें देगी और जिस तरह से वे सिफारिशें केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगी, उसी तरह से वे हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगी। अब हालात बदल गये हैं और हिमाचल पूरे दर्जे का राज्य बनने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को जो थर्ड पे कमिशन की सिफारिशों की वजह से मिलने वाला था वह हक उनका बरकरार रहे। जिस तरह से थर्ड पे कमिशन का लाभ केन्द्रीय कर्मचारियों को मिले, उसी तरह से वह हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी मिले। इसके बारे में इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि उनके इस राइट को भी आपको इसमें प्रोटैक्ट करना चाहिये।

हिमाचल के इस नये राज्य के जो इलाके हैं और जो इसके बाहर रह गये हैं, मैं यह भी चाहता हूं कि वे इलाके हमको दिये जाएं। जैसे ऊना तहसील का इलाका है। अब हमारी स्टेट बन गई है। उसको ये इलाके मिलने चाहिये। इसके साथ साथ पठानकोट का इलाका है, कालका का इलाका है। जो भी इलाके हमारे पंजाब में रह गये हैं या दूसरी जगह रह गये हैं, वे हमको मिलने चाहिये। मैं आशा करता हूं कि पन्त जी इस पर भी विचार करेंगे।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (हापुड़) : सबसे पहले मैं हिमाचल की जनता को और हिमाचल पर प्रशासन करने वालों को इस नये राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने पर बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल के साथियों को धन्यवाद देना चाहिये मास्टर तारा सिंह को। अगर उन्होंने पंजाबी सूबे की बात न की होती...

एक माननीय सदस्य : मरने के बाद ?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मरने के बाद तो ज्यादा अच्छी तरह से दिया जा सकता है। उन्होंने अगर पंजाबी सूबे की बात न की होती तो आज हिमाचल का आकार प्रकार इतना बड़ा न होता। मैं समझता हूं कि जितने भी हिल स्टेशन और फारेस्ट हिमाचल को आज मिले हैं ये सब उसी शांति का परिणाम हैं जिसका परिचय इन्होंने दिया है। लड़ने वाले दूसरे थे। हरियाणा और पंजाब वाले तो पीछे रह गये हैं और जो लाभ हुआ है वह हिमाचल को हुआ है। पंजाब में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मांगा था सूबा, मिल गई सूबी ...

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सूबड़ी।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : यह जो स्थिति पंजाबी सूबे की हुई, इसका पूरा लाभ अगर किसी को मिला तो हिमाचल प्रदेश को मिला। कभी-कभी बुराई में से भलाई का जन्म भी होता है; मगर उस समय हिमाचल के लोगों ने जो शांति की नीति अपनाई उसी का लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलता गया, और उसी का यह परिणाम भी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा भी उसको मिलने जा रहा है।

इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं। हमारी सरकार को इस सम्बन्ध में एक दृढ़ सिद्धांत निर्धारित करना चाहिए। हिमाचल के बाद कुछ दबाव पड़ा तो सरकार ने त्रिपुरा की घोषणा की, मणीपुर की घोषणा की। अभी दबाव पड़ रहे हैं विदर्भ के। तेलंगाना के रेड्डी साहब बैठे हैं, इनके यहां भी आन्दोलन ज्यों का त्यों जारी है। मेरा कहना यह है कि इसके संबंध में सरकार को कुछ निश्चित सिद्धांत निर्धारित करने चाहिये। अच्छा यह हो कि राज्य पुनर्गठन आयोग दूसरा स्थापित किया जाए और उसके सामने कुछ सिद्धांत निर्धारित किये जाएं कि जो नये बनने वाले राज्य हैं वे इस प्रकार के राज्य होंगे जो अपने पैरो पर खड़े हो सकें। केवल केन्द्र के कंधे पर निर्भर न करें। जो नए बनने वाले राज्य हैं उनकी संख्या के अनुपात में भी कुछ एक प्रकार की एक रूपता रखी जानी चाहिये, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर। जो मैदानी इलाकों के राज्य हैं वहां संख्या के अनुपात में बहुत बड़ा अन्तर न हो। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि जो नये बनने वाले राज्य हैं, उनके कारण केन्द्र की शक्ति में या केन्द्र की मजबूती में किसी प्रकार की दुर्बलता न आने पाये। उदाहरण के लिये हिमाचल के मेरे मित्रों को स्मरण होगा कि इस विधेयक के अन्त में जो वित्तीय ज्ञापन दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि हिमाचल की जो अपनी आय है वह 20 करोड़ 65 लाख है और हिमाचल की सरकार का जो व्यय है वह 37 करोड़ 54 लाख है। इस तरह से 16 करोड़ 89 लाख का जो घाटा है उसको पूरा करने का केन्द्रीय सरकार का दायित्व हो जायगा। हिमाचल को चलाने के लिये उसे इस घाटे की पूर्ति करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं हिमाचल के प्रशासन से और हिमाचल के साथियों से कि जब तक हिमाचल इस स्थिति में न आ जाये कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, तब तक वे अपनी वित्तीय चादर को इतना अधिक न फैलाएं कि जिससे उनके राज्य में बराबर टैक्स पर टैक्स बढ़ाने पड़ें और उस राज्य की जनता को अनुभव होने लगे कि पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिला लेकिन हमारे ऊपर करों का बोझ बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश को इसके बारे में एक आदर्श निश्चित रूप से उपस्थित करना चाहिये।

छोटे राज्यों के मंत्रि मंडलों के सम्बन्ध में भी मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। मेरे मित्र चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। श्री मल्होत्रा जी जब उत्तर प्रदेश के मंत्रि-मंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे उसी समय

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

मैंने उनको स्मरण कराया था कि उत्तर प्रदेश की संख्या सवा नौ करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य के लिए इतना बड़ा मंत्रिमंडल तो एक बार क्षम्य हो सकता है। हालांकि मैं इतने बड़े मंत्रिमंडल का वहां पर भी समर्थक नहीं हूं, लेकिन छोटे राज्यों के सम्बन्ध में मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि मुट्ठी-मुट्ठी भर लोगों का राज्य 29 और 30 मिनिस्टर लेकर चलेगा तो वह जनता पर बड़ा बोझ रखेगा और वह राज्य देश में गौरव का कारण नहीं हो सकेगा। उस अवस्था में इस तरह के राज्य देश के लिए अभिशाप होते चले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश नये बनने वाले पूर्ण राज्यों का दर्जा पाने वालों में पहला राज्य है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि हिमाचल इस विषय में भी आदर्श उपस्थित करे।

हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिला लेकिन उसके साथ-साथ आप यह भी देखें कि हिमाचल एक तरह से भारत का द्वार भी है। यह वह राज्य है जिसकी सीमाएं जाकर चीन से भी टकराती हैं और कुछ सीमा पाकिस्तान के साथ भी आकर टकराती है। सीमावर्ती राज्यों के लिये केन्द्रीय सरकार को विशेष रूप से इस प्रकार की नीति निर्धारित करनी चाहिए कि बाहर का शत्रु अगर इनसे आकर टकराये तो इन प्रदेशों में इतनी क्षमता हो कि कम से कम पहली चोट का मुकाबला ये स्वयं आसानी के साथ कर सकें। उसके लिये मैं चाहता हूं कि सीमावर्ती राज्यों में इस प्रकार की मजबूती लाने के लिये इन राज्यों के आकार प्रकार को थोड़ा बढ़ाया जाये। हिमाचल को जो आपने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके लिये उनका अभिनन्दन भी करता हूं। लेकिन जैसे मैं पहले से सुझाव देता आया हूं, उसको मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि हिमाचल के भाई मेरे सुझाव पर गम्भीरता से विचार करेंगे और इस सुझाव का स्वागत भी करेंगे। मैं चाहता हूं कि हिमाचल को इससे भी बड़ा बनाया जाये और जम्मू काश्मीर को हिमाचल में मिला कर एक विशाल हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया जाये।

श्री वीरभद्र सिंह (महासू) : इस विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज का दिन हिमाचल की जनता के लिये बड़ी खुशी का दिन है। वहां के लोगों ने जो सपना देखा था बहुत दिनों से वह साकार होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अठारहवें राज्य के रूप में इस विशाल राष्ट्र में अपना सम्मान पूर्ण स्थान ग्रहण करने जा रहा है। इसके लिये मैं अपनी तरफ से और हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से भारत सरकार को, प्रधान मंत्री जी को और श्री कृष्ण चन्द्र पन्त को धन्यवाद देता हूं और साथ-साथ इस माननीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह एक मत होकर इस विधेयक को पास करे और इस नये राज्य को अपना आशीर्वाद दे।

आपको मालूम ही है कि स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश में नए राज्य बनाने के लिए तथा राज्यों का सीमाओं को बदलने के लिये कई आन्दोलन हुए और उन आन्दोलनों ने उग्र रूप भी धारण किया। उनमें कई लोग मारे भी गये और करोड़ों रुपये की राष्ट्रीय सम्पत्ति को क्षति भी पहुची। लोगों को विश्वास होने लग गया था कि बिना वायोलेंट एजीटेशन या तोड़ फोड़ के सरकार से किसी भी मांग को मनवाया नहीं जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज हिमाचल ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। उसने साबित कर दिया है कि शान्तिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीकों से भी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। हिमाचल ने सारे देश के सामने

इस सन्दर्भ में एक उदाहरण पेश किया है जिसका अनुकरण सारे देश को करना चाहिए।

हिमाचल का जन्म 15 अप्रैल, 1948 को हुआ था। उस वक्त विकास की दृष्टि से हिमाचल बहुत पिछड़ा हुआ था। इन पिछले 22 सालों में वहां काफी तरक्की हुई है। श्री पन्त ने बताया है कि 85 लाख सालाना की आमदनी से आज हम 20 करोड़ की आमदनी तक पहुंच गये हैं। इससे इस बात का आभास मिलता है कि हम अपनी बढ़ती हुई जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर उठाने में समर्थ होते जा रहे हैं।

जहां इसका श्रेय वहां की सरकार और जनता को है, वहां हम भारत सरकार के भी बहुत आभारी हैं कि उसने बड़ी उदारता के साथ और दिल खोल कर हिमाचल प्रदेश की इमदाद की और उसको आगे ले जाने में हमारी हरचन्द सहायता की। इसमें सन्देह नहीं है कि पूर्ण राज्य बनने के बाद हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हो सकता है कि शुरू शुरू में हमें कई मुश्किलातों का सामना करना पड़े हमें अपने साधनों को बढ़ाने के लिये और अपने खर्चों को कम करने के लिए अनेक प्रभावशाली कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत पोटेंशल्ज हैं। वहां वन सम्पदा है और नदी-नाले हैं, जिनके पानी से करोड़ों किलोवाट बिजली पैदा हो सकती है। अगर हम इन सब साधनों का ठीक तरह से उपयोग करें, तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध राज्य बन सकता है। मुझे आशा है कि जिस तरह भारत सरकार ने आज तक हमारा साथ दिया है, उसी तरह भविष्य में उसके और देशवासियों के सहयोग से हम निरन्तर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे।

आज हमारे देश में लगभग दस केन्द्र शासित प्रदेश हैं। जहां मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बनने जा रहा है, वहां मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने मणिपुर और त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा की है। यह एक सही कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इनके अलावा कई दूसरे भी केन्द्र-शासित प्रदेश हैं, जहां के लोग मौजूदा सेट-अप के बारे में संतुष्ट नहीं हैं और वे उसमें तब्दीली चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश में जितने भी केन्द्र शासित प्रदेश हैं, उनका जन्म विभिन्न राजनैतिक और ऐतिहासिक कारणों से हुआ है और उनकी समस्याएं भी विभिन्न हैं। यह स्वाभाविक है कि उनकी समस्याओं का एक सा समाधान नहीं हो सकता है। मगर फिर भी हमें यह मान कर चलना पड़ेगा कि अगर उन केन्द्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य नहीं बनाया जा सकता है, तो वहां पर जो वर्तमान सेट अप है, वह भी वहां कायम नहीं रह सकता है। आज इस बात की जरूरत है कि उन प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया जाए और वहां के लोगों को प्रशासन में ज्यादा हिस्सा दिया जाए। तभी वहां के लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं फिर भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो हमारा नया राज्य बनने जा रहा है, उसको इस माननीय सदन का, और इस सदन के द्वारा पूरे देश का, आशीर्वाद प्राप्त होगा।

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज की कार्य-सूची की मद 6 में लिखा गया है कि प्रतिवेदन के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों संस्करण प्रस्तुत किये जायेंगे, लेकिन हिन्दी संस्करण उपलब्ध नहीं है।

श्री रवि राय (पुरी) : सभापति महोदय, इस बिल की हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं

[श्री रवि राय]

की प्रतियां सदस्यों के लिए उपलब्ध की जानी चाहिए थीं। इसमें लिखा है कि दोनों भाषाओं की प्रतियां दी जायेंगी, लेकिन हिन्दी की प्रति नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश की भाषा हिन्दी है, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी प्रति मिली है, हिन्दी प्रति नहीं मिली है।

सभापति महोदय : कभी कभी बांटने वालों से गलती हो जाती है कि हिन्दी या अंग्रेजी की प्रति नहीं पहुंचाई जाती है। आफिस इस बात का पता लगायेगा कि क्या बात है।

श्री बलराज मधोक : सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं कि उनकी चिराकांक्षा पूरी होने जा रही है। बेहतर होता यदि यह राज्य एक नए स्टेट्स रीआर्गनाइजेशन के बाद और उसके परिणामस्वरूप बनता। जैसा कि अभी श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा है, इस देश में अन्य स्थानों से भी इस प्रकार की मांगें उठ रही हैं। मुझे खेद है कि भारत सरकार कोई भी काम किन्हीं निश्चित सिद्धान्तों पर और दूर की बात सोच कर नहीं करती है। इस सरकार का यह दृष्टिकोण बन गया है कि आप मुए जग प्रलय—अपना वक्त बिता लें, देश जहन्नुम में जाता है तो भी कोई चिन्ता नहीं। मैं श्री पन्त से कहूंगा कि आज देश भर में जो हालात पैदा हो रहे हैं, उनको देखते हुए वह इस बारे में फिर से विचार करें। आज ही हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से यह मांग उठ रही है कि उनका एक अलग राज्य बना दिया जाये। विदर्भ और तेलंगाना की बातें तो पुरानी हैं। इन सब बातों का विचार करते हुए यह बेहतर होगा कि हम शीघ्र ही एक नया स्टेटस रीआर्गनाइजेशन कमीशन मुकर्रर करने का निश्चय करें और उसके लिये कुछ सिद्धान्त तय करें। उत्तर प्रदेश में ब्रज अलग है और अवध अलग है। वे दोनों अच्छे प्रान्त बन सकते हैं और इस प्रकार का उनका विकास अच्छा हो सकता है।

मैंने बहुत बार कहा है कि हिमाचल प्रदेश का नाम तभी सार्थक होगा, जब हिमाचल प्रदेश और जम्मू-काश्मीर इकट्ठे होंगे, क्योंकि उन दोनों को मिला कर ही वास्तविक हिमाचल प्रदेश बनेगा। अभी यह हिमाचल प्रदेश नहीं है, उसका एक अंग मात्र है। ऐसा करके सरकार और भी कई समस्याओं का हल निकाल सकेगी, क्योंकि वे समस्यायें बहुत गम्भीर बनती जा रही हैं। आज काश्मीर में जो हालात हैं, मैं उनके बारे में कोई स्केयर पैदा नहीं करना चाहता हूं। न ही मैं कोई प्राफेट आफ डूम हूं। लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि यदि सरकार आंखें खोल कर नहीं चलती है, यदि वह वास्तविकता को नहीं देखती है, यदि वह केवल विशफुल थिंकिंग के आधार पर काम करती है, तो सरकार तो डूबेगी या न डूबेगी, लेकिन देश को जरूर ले डूबेगी। जो हालात काश्मीर में बन रहे हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करना होगा। उनका इलाज वही है, जो श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने सुझाया है, जिसका मैं भी उल्लेख कर चुका हूं।

हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीती का ट्राइबल क्षेत्र भी आता है। उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और वह लद्दाख के साथ बहुत मिलता-जुलता है। जब जम्मू-काश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ था, तो लद्दाख की जनता ने भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री को यह ज्ञापन दिया था कि या तो हमें अलग कर दिया जाये और या हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया जाये। आज लद्दाख और लाहौल तथा स्पीती अलग-अलग पड़े हैं। अभी तक उन दोनों के बीच में कोई सड़क नहीं थी। अब कुल्लू से मनाली होते हुए लद्दाख तक सड़क

बन गई है। सरकार गम्भीरता से विचार करके लाहौल, स्पीती और लद्दाख, इन तीनों को मिला कर एक यूनियन टेरीटरी बना दे और बाकी हिमाचल प्रदेश को जम्मू-काश्मीर के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना दे। यह इस सारे क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये अच्छा होगा, इसकी राजनैतिक समस्याओं का भी हल होगा और सबसे बढ़कर यह देश की सुरक्षा के लिये भी अच्छी बात होगी। सरकार बाकी देश के बारे में भी एक सुनिश्चित नीति निर्धारित करे, ताकि देश का विकास ठीक ढंग से हो सके। आज स्थिति यह है कि जिधर से दबाव पड़ता है, सरकार उधर झुक जाती है, वह एक जगह एक सिद्धान्त अपनाती है और दूसरी जगह दूसरा। यह ठीक नहीं है।

हिमाचल प्रदेश के अलग हो जाने से दिल्ली पर असर पड़ेगा। अभी तक दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को बहुत सी सर्विसिज कामन हैं, पुलिस कैडर और हाई कोर्ट कामन हैं। सरकार हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बना रही है, मैं उस का स्वागत करता हूं, लेकिन उस को दिल्ली के बारे में भी शीघ्र ही पुनर्विचार करना पड़ेगा। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि चूंकि यह राजधानी है, इस लिए हम इस को फुल-फ्लेज्ड स्टेट नहीं बना सकते हैं। एक फुल-फ्लेज्ड स्टेट न बनाते हुए भी दिल्ली के विषय में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और इस मामले में सरकार शीघ्र ही दिल्ली के प्रतिनिधियों से बातचीत करे, ताकि यहां के लोगों को और प्रकार के पग न उठाने पड़ें। हम भी शान्ति और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हिमाचल प्रदेश के एक पूर्ण राज्य बन जाने के बाद दिल्ली की समस्या की ओर ध्यान देना और भी आवश्यक हो गया है।

इस बिल में हिमाचल प्रदेश की भाषा की बात कही गई है। वहां पर अभी पच्चीस साल तक अंग्रेजी ही चलेगी। हिमाचल प्रदेश की भाषा हिन्दी है, इस लिए वहां पर हिन्दी चल रही है और हिन्दी ही चलनी होगी। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार और डा० परमार से अपील करूंगा कि वे हिमाचल प्रदेश में हिन्दी के साथ साथ डोगरी और पहाड़ी को भी स्थान दें। उन का अपना महत्व है। इस लिए उन का विकास भी साथ साथ होना चाहिए। अगर वहां पर दूसरी भाषा के रूप में किसी भाषा को पढ़ाना है, तो उस के लिए डोगरी और पहाड़ी को स्थान दिया जाये।

जहां तक हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सीट्स का सम्बन्ध है, 68 सीट्स रखी गई हैं। कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि सीट्स की संख्या 80 हो और कुछ कहते हैं कि वह 60 ही रहे। मेरा व्यक्तिगत मत है कि वह पहाड़ी इलाका है, उस की कांस्टीट्युएन्सीज भले ही छोटी हों, उन की आबादी कम होगी, लेकिन उनका फैलाव ज्यादा होगा। अगर सीट्स ज्यादा होंगी, तो ग्रास-रूट्स डेमोक्रेसी की दृष्टि से अच्छा होगा। कि यह बात हम असेम्बली में या पार्लियामेंट में तय करने के बजाय जो अगला डी-लिमिटेशन कमीशन बैठेगा उस पर छोड़ दें। सारी बातें उस के सामने रखी जायं और वह जो निर्णय करे उस पर अमल किया जाय।

इस के साथ-साथ एक और बात पर विचार करना होगा। इस नये हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा का इलाका शामिल हुआ है वह मुकाबिलतन अधिक पिछड़ा हुआ है। मैं आशा करूंगा कि नये हिमाचल प्रदेश के अंदर इस कांगड़ा के पिछड़ेपन को ठीक करने के लिए अधिक सुचारु रूप से और तेजी से पग उठाए जाएंगे।

फिर यह हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के दृष्टि-कोण से बहुत ही पिछड़ा रहा है। हर तरह से टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश काश्मीर

[श्री बलराज मधोक]

से अधिक है, काश्मीर से अधिक यहां सुरम्य स्थान हैं । लेकिन इस सरकार की नीति काश्मीर की ओर रही । काश्मीर के साथ मेरा नाता है । मैं चाहता हूं कि काश्मीर का विकास हो । लेकिन एक प्रदेश का विकास हो और दूसरा प्रदेश उपेक्षित रहे यह उचित नहीं । तो टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी इसके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा और केन्द्रीय सरकार को भी । काश्मीर को आप 4 करोड़ रुपये दें और हिमाचल को 25 लाख रुपये दें यह किसी तरह उचित नहीं है। इसको अधिक रुपया देना होगा ताकि यह काश्मीर के मुकाबिले में आगे बढ़ सके और भारत की जनता यहां का जो सौन्दर्य है उस का रसास्वादन कर सके । फिर वहां पर जो कास्ट आफ लिविंग है वह अधिक है । इसलिए वहां के सरकारी कर्मचारियों को केवल यह सोच कर कि यह स्टेट्स के कर्मचारी हैं ऐसे ही छोड़ देना उचित नहीं होगा । उनको केन्द्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक एलावेंसेज देने होंगे क्योंकि वह दूर दराज के इलाकों से आते हैं और उन को खर्च अधिक पड़ना है, कास्ट आफ लिविंग वहां की अधिक होती है । हर चीज उन को मंहगी मिलती है । इसलिए केवल यह सोच लेने से कि क्योंकि वह स्टेट के कर्मचारी हैं इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा । सवाल रहा रिसोर्सेज का तो अभी आपने बताया कि आमदनी वहां की 20 करोड़ है और खर्च 37 करोड़ है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नागालैंड की क्या हालत है ? अर्मी सेक्योरिटी के खर्च को छोड़ कर वहां का खर्च करीब 36 करोड़ है और उसकी अपनी आमदनी 40 लाख है । तो अगर नागा लैंड की अपनी आमदनी 40 लाख होते हुए वहां आप 36 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं तो हिमाचल को अपनी आमदनी साढ़े 22 करोड़ होते हुए उसको अपने विकास के लिए कुछ और देंगे तो वह ठीक ही होगा । फिर आप ने जम्मू काश्मीर के लिए कितना लोन दिया है यह भी आप देखें । इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि जब आप ने इस को स्टेट बनाया है तो इस को लिबरली फाइनेंशियल रिसोर्सेज दें ताकि इस का शीघ्रातिशीघ्र विकास हो सके । साथ ही साथ यह बड़ा पहाड़ी इलाका है इसमें कम्युनिकेशन की कमी है । एक उन का सुझाव है कि एक रेल हैड उन को मिलना चाहिए । एक कालका का रेल हैड है जो हरयाना प्रान्त में है मैं उसे लेना नहीं चाहता उनसे लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे एक बड़ा. रेल हैड हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है । वहां पर फल बहुत अधिक होते हैं, और चीजें होती हैं, इसलिए उस के विकास की पोटेंशियलिटी बहुत बड़ी है । इस बात का विचार करते हुए हमें एक रेल हैड उन्हें देना चाहिए । मैं समझता हूं इन बातों को मंत्री महोदय ध्यान में रखेंगे और जो सुझाव मैंने और दिए हैं उन के ऊपर भी विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस का पुनः स्वागत करता हूं ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मैं भी सहयोगी रहा हूं और आज इस गवर्नमेंट ने जो दिया है उसके लिए मैं खासतौर से पंत जी को बधाई देता हूं कि पंत जी ने एक सुन्दर काम किया है। उनके पिता जी भी होम मिनिस्टर थे और वह भी आज होम मिनिस्टर हैं । मैं आशा करता हूं कि वह बाप का अनुकरण करेंगे और ऊंची बात करने के लिए हमेशा रहेंगे । मैं हिमाचल प्रदेश गया था । वहां की हालत को मैं देख आया हूं । वहां गरीबी है । जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कांगड़ा का इलाका इग्नोर न किया जाय । मैं डा० परमार से अपील करूंगा कि आप अपने हिमाचल प्रदेश

में जैसा उसका नाम है हिम और आंचल दोनों सम्मिलित, उसी रूप में सम भाव से उसको देखें। वहां के जो गरीब लोग हैं उनकी हालत बहुत अबतर है, उनकी मदद करें और उसको एक आदर्श स्टेट बनाएं। आज देश में बड़ी गड़बड़ी है और आप बड़ी जिम्मेदारी की जगह पर है। जिम्मेदारी इस मामले में है कि आज देश को मुकाबिला विदेशियों का करना है। आप हमारे बोर्डर के सिपहसालार हैं, आप को देश को पाकिस्तान के हमले से बचाना होगा, फारेन हमले से बचाना होगा। आपको देश की रक्षा करने के लिए नौजवान बढ़िया और अच्छे देने होंगे। मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि खेतिहर संघ की जो स्थापना हुई उसकी पहली मीटिंग हमने हिमाचल प्रदेश में की और बड़ा अच्छा स्वागत उसका हिमाचल के लोगों ने किया। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों की हालत को आप देखेंगे और मैं चाहूंगा कि आप उनकी मदद करें, बाग बगीचा वालों को काफी प्रोत्साहन दें। टूरिज्म के मामले में हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कहेंगे कि जैसा कि प्रोफेसर ने कहा हिमाचल प्रदेश को काफी रुपया इसके लिए दें और उसे डेवलप करें। देश के प्रत्येक हिस्से की तरफ आपको समभाव से देखना है और बड़ा काम करना है। लेकिन मैं डा० परमार से कुछ कहना चाहता हूं कि आपने हमसे तो डेमोक्रेसी के अंदर रह कर एक बढ़िया डेमाक्रेटिक सेट अप मांग लिया लेकिन वहां पर हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, शिमला उसके कारपोरेशन को नामिनेट क्यों किया? वहां आपको यह अधिकार देना होगा। वहां की जनता की मांग है। मैं उस दिन गया था वहां और मुझे बड़ा फील हुआ कि अंग्रेजी सिस्टम अब भी वहां आप ने लागू किया हुआ है कि बड़े डाक बंगले पर मोटर बन्द की जाती है। यह गलत बात है। दुबारा मैं शिमला जाऊं तो शिमला में यह प्रतिबन्ध न हो कि फलां जगह पर मीटिंग नहीं कर सकते। वह इस बात को नोट करें, सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट भी इसको देखे और चीफ मिनिस्टर को इस पर गौर करना चाहिए। इफ यू० वांट ए गुड स्टेट, तो डेमाक्रेसी का नमूना पेश करो। इन शब्दों के साथ मैं तहे दिल से उसका समर्थन करता हूं क्यों कि शुरू में हिमाचल के साथियों ने मुझसे कहा था कि हमारी मदद करो, हमने उसमें उनके साथ भाग लिया, दौड़ धूप की और उसमें लिखापढ़ी की। फुल स्टेट आज आप को मिल रही है, आप सुखी रहो, फलो फूलो, यही हमारा आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो एक बड़ा अच्छा स्थान है आबाद हो और देश का रक्षक बने। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba): Mr. Chairman, we the Members of Himachal Pradesh are extremely grateful to the Prime Minister....

SOME HON. MEMBERS: Not to Parliament?

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN: Let me now thank the House, after thanking the Prime Minister. I thank the Members of this august House for giving their full support to the Resolution which I brought last year and also the present Bill. This Bill meets the aspirations of not one man or a group of persons; it meets the aspiration of 3.5 million people of Himachal Pradesh. This is a solitary instance in the country where a Union Territory has achieved full statehood by peaceful means and the credit for leading such a movement goes to the Chief Minister of Himachal Pradesh, Mr. Parmar and on our behalf we thank the Chief Minister for getting us full statehood.

There are a few suggestions which I should like to make the Assembly should be of eighty members and not sixty because in a smaller assembly there is greater chance of intrigues and manouvrings. In a larger Assembly there are lesser chances of such intrigues. Apart from that, incentive should not be given to the growth of population. We give more representation to a larger population. On the one hand you are encouraging family planning; on the

[Shri Vikram Chand Mahajan]

other hand you are giving incentives to larger populations. Therefore, I submit that the time has come to have a different view. The terrain of H. P. is very difficult and it is extremely difficult for fewer members to cover such large areas. If one has to go to a village it takes the whole day whereas in the plains one can cover the entire constituency in one or two days. Therefore, I submit that this demand which comes from the people of H. P. should be accepted.

Secondly you have made a provision that only Judges from the Delhi High Court should go to Simla. This is a restrictive provision because when a new High Court is created you take the best judges from all the High Court. For example when the Delhi High Court was created there was no provision that only judges from Punjab would be taken in the Delhi High Court. Judges from Madras, Andhra Pradesh and Mysore were taken in the Delhi High Court. Therefore, I submit that a similar provision should be made so far as Himachal Pradesh High Court is concerned. So, a provision should be made which will enable us to get judges from different high courts.

Apart from that, there is another provision, and there is no mention of it, and that is, the Delhi high court is a high court of original jurisdiction. That is, original cases are tried in that high court. This provision is also being incorporated in the Simla high court, which would cause great harassment to the people of that area, because, for trial in original cases, a person will have to bring witnesses from 400 miles to Simla. In Delhi, this provision can work well, because Delhi, compared to a big State, is a small city and within a range of 20 miles, the people can get together those persons who are required and bring them to the high court. How is a person from 400 miles going to bring witnesses one date after another date? I think this aspect has not been looked into by the Law Ministry, and I request the Minister to seriously consider this aspect.

Thirdly, I want to mention another factor, and that is, the third Pay Commission has made certain recommendations. If Himachal Pradesh had continued as a Union territory, they would be entitled to the benefit, but no provision has been made in this Bill as such protecting their interests. Therefore, I beg to submit that Government should give either assurances that the non-gazetted staff would get the benefit of the Pay Commission's recommendations, of the Government should give grants to the new State of Himachal Pradesh when it comes into existence, covering that gap, so that the Government of Himachal Pradesh could give the enhanced pay and allowances which the Pay Commission recommends.

I have two three more points to which I shall refer quickly. One of them is that the Government should also assure us that the Central Government will keep on giving the necessary aid to the State of Himachal Pradesh after its constitution, to meet its expenses. There are two basic reasons why this commitment should be made. Firstly, this State is backward one, and it has to be brought to the level to which the rest of the country has been brought. Therefore, it is necessary to give additional financial aid to the State of Himachal Pradesh so that it can come up to that level.

The second reason is, it is a border State. The borders of Himachal Pradesh touch the Chinese border, and also the borders of a part of Pakistan.

SHRI BAL RAJ MADHOK: No, Sir. You do not know geography.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN: The Kistwar border is hardly two miles (*Interruption*) It is necessary for a border State to get additional finances, so that its economy can be strengthened, and people do not look to the other countries for that purpose. Therefore, I submit that additional financial aid should be given and a guarantee should be given that the deficits will be made up for the next 10 years by the Government of India.

Finally, I again thank the House and Prime Minister and our Minister of State, Shri K. C. Pant, for bringing up this Bill as quickly as possible and for passing it here.

17.54 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Mr. Speaker, Sir, I wholeheartedly welcome this Bill, and I am assure the Government would honour their commitment with regard to Tripura, Manipur and the hill State recently constituted, namely, Meghalaya. This is a welcome measure, as pointed out earlier by many friends. But I would like to point out one or two things. Though Himachal Pradesh has got immense potential for development, particularly on the basis of the forest-based industries and tourism, I do not know how far they would succeed with the balance-sheet that they have got for implementing many of the projects that they have in mind.

Apart from that, there is another important aspect to which it may not be irrelevant to refer here. Though these Union Territories have an ambition to become full-fledged States, after attaining Statehood, I do not know whether the Chief Minister would really feel happy with the state of things prevailing in our country today. What they really achieve after getting rid of the position of the Union Territories is, instead of knocking at the doors of the Home Ministry, they knock at the doors of the Finance Ministry, Planning Commission and various other central ministries, which instead of helping in the development of the States, more often come in the way and dampen the initiative of the State. After all, the purpose of the demand for Statehood is development of the State. As was clearly revealed by the minister and other members, they are already having a deficit of Rs. 16 crores. How is it to be made up except by industrialisation ? Mere Statehood is not going to solve problems. It is only one of the steps.

MR. SPEAKER : We can have this academic discussion later on. Don't do it at the cost of Himachal Pradesh.

SHRI S. KANDAPPAN : I have left my academic career in 1960.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Since then he is a politician, pure and simple.

SHRI S. KANDAPPAN : How is the Central Government going to streamline it and see that the existing States and the new States coming into being are helped to the maximum extent possible to expedite their industrialisation ?

I would appeal to the minister to take note of the ARC recommendations. As one belonging to the DMK, I have got a different ideology altogether, but I am not explaining it here. The ARC, appointed by Government, made certain recommendations in order to see that the stresses and strains existing in the Centre-State relations are done away with. I want to know what attention the Home Ministry has given to those recommendations.

There are many small thing but the bureaucracy at the centre does not take note of them, resulting in the Centre-State relation being strained. To give a curious and funny example, some months ago from Tamil Nadu there was a request seeking permission from the road wing of the Central Transport Department to lay a pipeline to a particular municipal town. For taking water to a municipal town, they have to lay a pipe-line along the national highway. For that, the rules require that the State Government should get the permission of the Central Government. They have asked for permission, but for six months, nobody has taken care to clear it. I do not know whether the letter was received by the proper authorities here or not. This is a very small thing. Like that there are innumerable things that I can go on enumerating. Unless the Central and administration is streamlined, unless the elements that sometimes dampen the initiative and interest of the States are done away with, there is bound to be this tension, this strain between the Centre and the States. These would impede the development of states rather than helping them. These are small matters. Even without radically changing the constitutional position the government could take administrative measures to set them right.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : I hope it will not be through the Tamil medium.

SHRI S. KANDAPPAN : That is not relevant. I do not know why the Swatantra Party look at the DMK that way.

[Shri S. Kandappan]

There is demand from the Union Territory of Pondicherry that they should be given statehood. In fact, the demand has been made a little more vociferously during the last few months. I would appeal to the Government to consider that demand sympathetically. In fact, this demand for statehood is mainly due to the irrigations and frictions that normally exist between the Lt. Governor of a Union Territory and the Chief Minister of the legally constituted Assembly. I hope the Government would immediately attend to this and satisfy the demand of the people of Pondicherry.

श्री हेमराज (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। हिमाचल प्रदेश वालों ने जब अपनी मांग रखी तो उसका पूरा-पूरा साथ इस सदन और दूसरे सदन ने दिया। इसलिए मैं सबसे पहले इन दोनों सदनों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग को पूरा सहयोग दिया और उनकी आशाओं को पूरा किया। आज का दिन इस पार्लमेंट की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जायेगा। साथ ही मैं प्रधान मंत्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। इन पहाड़ के लोगों के सम्बन्ध में उनको पता है कि उनके दिल साफ हैं, वे किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं और हर एक चीज को बड़े शान्तिपूर्ण तरीके से हल करते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने जो हमारी मदद की है उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। हमारे पन्त जी चूंकि खुद ही पहाड़ के रहने वाले है इसलिए वे हमारी तकलीफों को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने भी इस मामले में हमें काफी सहयोग दिया है इसलिए उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते है।

मैं बहुत सारी बातों में जाना नहीं चाहता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो पहाड़ी प्रदेश बना इसमें तरक्की के लिए काफी से ज्यादा जराये मौजूद हैं। आपको पता है कि जिस समय काम्पोजिट पंजाब था उस समय खयाल हो रहा था कि यह जो पहाड़ी प्रदेश है और यह जो तीन हिस्सों में पंजाब बटा है क्या यह आगे बढ़ सकेगा लेकिन आपने देखा कि आज पंजाब काफी आगे बढ़ा है, एग्रीकल्चर में और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में। हरियाणा भी काफी आगे बढ़ा है और उसी प्रकार से हिमाचल भी आगे बढ़ा है। वह और भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे पोटेंशल्स हैं—चाहे वह पानी का पोटेंशल हो या फारेस्ट का पोटेंशल हो। सारी की सारी नेचुरल वेल्थ वहां पर मौजूद है। हो सकता है कि पंजाब वाले अपने दिलों में तरसते हों कि हमने इतनी दौलत लुटा दी लेकिन आपकी कृपा से हिमाचल में सारे कुदरती जराए आ गए हैं। यह जरूर है कि इस सिलसिले में बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। केन्द्रीय सरकार ने जो फाइनेंशियल मैमोरेंडम दिया है उसमें आखिर में लिख दिया है :

> "but any future increase in the expenditure of Himachal Pradesh will have to be normally met by the Government of the new State by augmenting its revenue."

मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि फोर्थ प्लान जो ओल्ड हिमाचल का था वह 84 करोड़ का था लेकिन जब और इलाके उसमें मिल गए तो वह बढ़ करके अब मुश्किल से 110 करोड़ का बना। आप देखें कि एरिया दुगुना हो गया, आबादी भी दुगुनी हो गई लेकिन उसके हिसाब से पैसा नहीं बढ़ा। इसलिए मैं खास तौर पर केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि चूंकि वह पहले से ही बड़ी फराखदिल रही है इसलिए अब हिमाचल को बनाने में भी कुछ फराखदिली दिखाये। वहां पर दरियाओं का जो पोटेंशल है उसमें अभी वहां पर सिर्फ 1500 कि० वा० बिजली पैदा होती है जबकि वहां पर 85 लाख कि० वा० बिजली पैदा कर सकने का एस्टीमेट लगाया गया है। अगर वह

85 लाख कि० वा० बिजली बन जाये तो वह सबसे ज्यादा सस्ती होगी। उसको बनाने में दो सौ या ढाई सौ करोड़ रुपए की जरूरत होगी। आजकल हर एक जगह पर बिजली की कमी दिखाई दे रही है ऐसी हालत में अगर केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश को, जोकि अब एक स्टेट बन रही है, ज्यादा रुपया दे तो बिजली की इस कमी को बहुत हद तक पूरा किया जा सकता है।

साथ ही हमारे पास बहुत सी फारेस्ट वेल्थ है जिसका कि बहुत डेवलपमेंट किया जा सकता है। वहां पर टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा डवलप किया जा सकता है, जैसा कि अभी मधोक जी ने कहा ! लेकिन उसके लिये जो रुपया मिलता है वह बहुत कम है। यह ठीक है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने साधन जुटायेगी, उसके लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी लेकिन साधन जुटाने के लिये भी जो शुरू में कैपिटल एक्सपेंडीचर की जरूरत होती है, कम से कम वह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट उसको दे ताकि वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके और आमदनी को बढ़ाया जा सके।

इसके साथ साथ मैं इस बिल के प्राविजन्स के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी अकलमन्दी के साथ हमारी सीट्स को बढ़ा दिया है—पहले वह 60 थी लेकिन अब 68 कर दिया है। मैं समझता हूं यह जायज चीज है। इससे न तो एक्सचेकर पर ज्यादा बोझ ही पड़ा है बल्कि साथ ही साथ जो लोक सभा की सीट्स कम हुई थीं और जो वहां की तीन नामिनेटेड सीट्स थीं उनको भी पूरा कर दिया है। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो पापुलेशन है वहां की उसके लिये भी काफी घूमने फिरने की आसानी होगी।

अभी मेरे भाई महाजन साहब ने जैसा कहा है कि हाईकोर्ट के लिए आपने राष्ट्रपति की डिस्क्रीशन को दिल्ली तक ही बन्द कर दिया है यानी जो जजेज होंगे वे दिल्ली हाई-कोर्ट से ही लिये जायेंगे। मैं चाहता हूं कि उनके डिस्क्रीशन को वहीं तक महदूद न रखा जाये। हिमाचल प्रदेश के जो जजेज हैं वह पंजाब में भी हैं और दूसरी जगहों पर भी हैं इसलिए दिल्ली तक ही आप इसको महदूद क्यों रखते हैं ? वे दूसरे लोग भी वहां जा सकते हैं और फिर वे वहां के रहने वाले भी हैं।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान थे उनको आज तक आल इंडिया कम्पटीशन में यू० पी० एस० सी० में बैठना पड़ता था लेकिन अब एक काडर बन गया है इसलिए वे इस धांधली से भी छुटकारा पा सकेंगे।

दूसरे भाइयों ने एक बात और कही कि यह बार्डर की स्टेट है उसके नाते बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं लेकिन उनको खतरा है कि ये बार्डर स्टेट को महफूज नहीं रख सकेंगे लेकिन मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि डोगरा बहादुर जो थे उन्होंने चीन और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी है और उसमें सबसे ज्यादा हमारे डोगरा बहादुर ही शहीद हुये हैं। इसमें अगर सबसे ज्यादा श्रेय किसी को है तो उन्हीं को है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे जो बहादुर डोगरा हैं वह देश की रक्षा में कभी भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI M. MEGHACHANDRA (Inner Manipur): Mr. Speaker, Sir, I am grateful to you for having given me an opportunity ta say a few words on the discussion of the State of Himachal Pradesh Bill, 1970.

[Shri M. Meghachandra]

As a Member coming from the Union Territory of Manipur, I want to share the joy with the people of Himachal Pradesh. The people of Union Territories have been demanding the grant of State-hood. We have been under a different type of set-up, we are enjoying a subservent status. Even referring to the preamble of the Constitution which provides for equality in States there is no such equality in political status between a State and a Union Territory.

The Union Territories have a long career right from being Part C and Part D States to being administered under the Territorial Councils Act, 1956 and the Union Territories Act, 1963. Under the Union Territories Act, there is the territorial legislature. The territorial legislature has also no paramount power to legislate on subjects mentioned in List II. Then, there is the President administering the Territory through the Administrator.

Again, we do not have a High Court. There is the Judicial Commissioner's Court. The House will appreciate that although the Judicial Commissioner's Court has been given for some purposes some powers under the Constitution, the Judicial Commissioner's Court cannot practically be a High Court. There is a substantial difference. What we the people of Union Territories want is that we should enjoy democracy and that our democratic aspirations should be honoured.

The Government of India on taking a decision that Himachal Pradesh should be given State-hood has come forward with this Bill. I am very happy that this Bill has been brought before the House. I find, in the Bill itself, a paraphernalia of a State. There will be an Assembly consisting of 68 Members, 4 Members in the Lok Sabha, 3 members in the Council of States, a separate High Court, a separate Bar Council and so on. There is also a financial allocation given in the Bill. I whole-heartedly support the Bill.

I also take this opportunity to say that the Government might have brought forward the Bill for Manipur and Tripura. If not done so, the Government should give a definite assurance that the Bill for Manipur and Tripura will be brought forward during the next session, that is, the Budget session. I hope, the hon. Home Minister will be pleased to give an assurance to the House that the Bills for Manipur and Tripura and also Meghalaya will be brought forward in the next session.

Then, there are a few problems which the Government, the Home Ministry as well as the House should take note of. We are sorry that our neighbour State of Nagaland looks unhappy with the grant of Statehood to Manipur. Our problem today is that the Government and the Parliament should confer Statehood as early as possible on Manipur and install a popular Government. At the same time we want an integrated Hill and Plain Development Plan, which is the very need of the hour.

Thirdly, the House is aware that a number of youths have been arrested and detained in jail being charged with a number of alleged offences including waging war etc. for being involved in what is alleged to be formation of a revolutionary Government of Manipur and so on. I would appeal to the Minister that since the youths have expressed their regrets, they should take a sympathetic attitude and show some good gesture in this regard.

With these words, I support the Bill.

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu): Mr. Speaker, Sir, I am happy that my neighbouring State of Himachal Pradesh is being given a full fledged status of a State.

I would like to point out that as in the State of Jammu and Kashmir where many border problems are there, all kinds of problems are existing in the State of Himachal Pradesh. Likewise, in the field of economic development and other industrial activities also, we share many common problems with them. Likewise too, in the matter of development of communications, water and power, we share very many common problems.

I hope and trust that after Himachal Pradesh gets this full-fledged status of a State, the wise political leadership at the helm of affairs in the respective States of Himachal Pradesh and of Jammu and Kashmir, would

get together to solve the existing inter-State problems and try to coordinate the developmental and other economic projects for the betterment of the people, by which both the people living in Himachal Pradesh area as well as those living in Jammu and Kashmir area can be benefited.

Sir, two or three points have been raised here in this discussion by Professor Bal Raj Madhok and Shri Prakash Vir Shastri. I am sorry, at this moment, they are not here. Probably they believe only in hit and run. Unfortunately I am pained here today to listen to a remark that whenever a reference is made to hilly areas, they say, there is a small population or some little population. But, let me tell you this, and through you to the House, that the population in the hilly areas may be very little, or small, but that is a productive population, not in human population, but otherwise ; this population is hard-working and productive population.

Sir, the biggest wealth of the country lies in our Forests. Forests are needed for the development of orchards. These are areas from where you can get fruits, for the whole country. These forests are being exploited for the good of the whole country. So, whenever it is said: Oh, there is very little population in the hilly areas or very small population, it pains us greatly. We try our best to serve the whole nation and we do not think only of ourselves.

Certain references were made to one point by one or two hon. Members. It is true in the Jammu and Kashmir State area we are confronted by two enemy armies—namely, Pakistan and China. In Himachal Pradesh, we are confronted with the Chinese army. As I said earlier, it becomes very important when we give full Statehood to Himachal Pradesh, that the Centre should not in future shirk the responsibility to see that proper financial and technical assistance is given especially to develop the border areas from the communication point of view so that we can strengthen our borders in a better way.

As usual Shri Bal Raj Madhok has made a very novel suggestion, and today, I was surprised that even Shri Prakash Vir Shastri joined him in making that novel suggestion. He said that after Himachal Pradesh got the status of a full-fledged State, the State of Jammu and Kashmir and the State of Himachal Pradesh should be merged. I am really surprised that a person of his calibre and intelligence who gives some kind of political leadership to a section of the population in this country could make such casual remarks about those things which can really affect the very foundations of our country.

While Shri Bal Raj Madhok welcomes this Bill in one breath, in the other, he says that an existing State should also be merged with this. If he were of this opinion, then why did he not from the very beginning speak against the Bill and stick to that suggestion of his? It is very easy to say that UP should be bifurcated or that UP, Madhya Pradesh and Bihar should be merged because there is political instability. But is it practicable? Is it possible in the present situation existing in our country? Since these are very sensitive problems and are very ticklish issues and these are very sensitive areas and are very sensitive about their problems, such remarks about the problems which affect us so basically should not be made in such a casual and irresponsible manner. I would request these colleagues that in future at least they should be very careful when they make their observations about these things.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN (Ambalapuzha): This is a welcome measure. In fact, this should have been brought forward much earlier. Our Party was opposed to the creation of these Union territories even from the beginning, because they were creating second class citizenship in our country, which was a creation of the imperialist government in our country and which we are still continuing. In a democracy, there is no room for second class citizenship, one set of people having full rights and another set having only partial rights. This situation should be remedied.

Even after 23 years of Independence, there are still large tracts in our country where there is no legislative body at the State level. Tripura is one such. For the last two or three years there has been a strong movement in Tripura demanding full Statehood for Tripura. But

[Shrimati Suseela Gopalan]

that has not been conceded. Still, the agitation is going on in Tripura. So far as Manipur is concerned, they were having an elected body even before this Parliament came into existence and before the Constitution was made. They had a representative government there even before. And yet, actually, after Independence, they lost it. While other parts of the country got elected bodies, Manipur lost it and it became a Union territory. In Manipur especially, there are very sensitive problems. For instance, the question of the tribals is there. The tribal people want to join Nagaland area. That is a right demand and it should be conceded, and our party supports that demand. The non-tribal areas should be formed into a State. Likewise in the case of Tripura also, Statehood should be conferred on it immediately.

Actually, the Government should have come with a composite Bill conferring statehood on Himachal Pradesh, Manipur and Tripura. In the fitness of things, that should have been done, but it has not been done. I hope at least in the next session, Government will bring forward the necessary Bill conferring statehood on the other two Union Territories.

We can never countenance a polity under which there is a kind of second-class citizenship in certain areas like Manipur and Tripura.

I welcome this measure as it is. It is a good measure. But the next step should also be taken as I have indicated.

श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी (हमीरपुर) : हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन हिमाचल के अन्दर सरकार ऐसी बननी चाहिए जो नौकरशाही से बचे। नौकरशाही द्वारा सारा पैसा खत्म नहीं कर दिया जाना चाहिए। आज वहां गरीबी बढ़ती जा रही है। ऐसा भी न हो कि वहां गरीबी, बढ़ती जाये। मेरी राय में वहां पर ग्राम पंचायतों को अदालतों के अधिकार दिये जाएं। जो जिला परिषदें हैं उनको अपील के अधिकार दिये जाएं। मैं यह भी चाहता हूं कि हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया जाए क्योंकि ये सब गरीबों को चूस रहे हैं और इनके अधिकार विधान सभाओं और पार्लिमेंट को दे दिये जाएं। मैं चाहता हूं कि गांव सरकार बनें। जो गांव मर रहे हैं भूख से, वहां गांव सरकार बनें। गांव सरकार के बाद जिला सरकार बने। फिर प्रांत की सरकार बने और उसके बाद यहां की सरकार बने। यहां जो मेम्बर बैठे रहते हैं इनको अपील सुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की। एक वकील ने मुझसे कहा कि मैं दस हजार रुपये रोजाना लेता हूं। मैं यहां पर पचास रुपये में बैठा रहता हूं। वह यहां मिनिस्टर बनने के लालच में आया होगा। इस तरह से जो लूट मची हुई है और दस-दस हजार रोज लेकर वकीलों द्वारा मचाई गई है, इन वकीलों को भी खत्म किया जाए।

मैं यह भी चाहता हूं कि जो बहुत लम्बे चौड़े राज्य हैं, इनको भी छोटा किया जाए। उत्तर प्रदेश बहुत लम्बा चौड़ा है। इसका कुछ भाग, पश्चिमी भाग हरियाणा में मिला दिया जाए। बुन्देलखण्ड का प्रान्त बनाया जाए। बिहार के जिलों को मिलाकर जहां भोजपुरी बोली जाती है, एक अलग राज्य बनाया जाए। इस तरह से छोटे-छोटे राज्य बनाए जाएं। दिल्ली को हरियाणा में मिला दिया जाए, नई दिल्ली को निकालकर। ये सब जो बिजिनेस मैन हैं ये जाटों से और किसानों से ठीक होंगे, वहां इनको रखा जाये।

आजकल न्यायालयों में क्या होता है। गलत आदमी को फांसी पर लटका दिया जाता है और जो दोषी आदमी होता है वह छूट जाता है। काला कोट पहने हुए वकील कितना ही रुपया लोगों से ले लेते हैं। किसान

का रुपया तो मुकदमेबाजी में चला जाता है। दो-दो करोड़ आबादी वाले राज्य बनाएं और इसमें आप क्षेत्रफल का भी ख्याल रखें। पार्लियामेंट के मेम्बर जो फालतू बैठे रहते हैं, इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार दिये जाएं। ये जो एम० एल० ए० हैं ये क्या करते रहते हैं ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है जजों की। मैं बधाई देता हूं हिमाचल को उसके द्वारा राज्य का पूर्ण दर्जा ग्रहण करने पर। मैं यह भी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पांच छः जिले मिलाए जाएं और विशाल हरियाणा बनाया जाए। दिल्ली को भी उसमें मिलाया जाए। दिल्ली को मिलाकर विशाल हरियाणा बनाया जाए। हमारे मधोक जी कह रहे थे कि जम्मू काश्मीर को हिमाचल में मिला दिया जाए। वह अब चले गये हैं। क्यों नहीं दिल्ली को हरियाणा में मिलाया जाए? जरूर मिलाया जाए।

श्री रवि राय : यह खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक यहां पेश किया गया है। वास्तव में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिये वहां की 35 लाख जनता पिछले कुछ समय से आन्दोलन कर रही थी और यहां भी हम लोग सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। इन सब दबावों में आकर सरकार इस बिल को लाई और आज इसको हम पास करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है।

पिछले बीस, बाइस साल का इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी क्षेत्र के लोगों द्वारा आन्दोलन—और हिंसक आन्दोलन—किये जाने के बाद ही सरकार ने पूर्ण राज्य बनाये जाने की उनकी मांग को पूरा किया है। हम लोग इस सदन के सभी दलों के नुमायंदों का एक प्रतिनिधि-मंडल लेकर मणिपुर की राजधानी इमफाल गये थे। हमने सरकार से अपील की थी कि मणिपुर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये, लेकिन फिर भी सरकार ने उस मांग को नजर-अन्दाज किया है। इसमें बहुत विलम्ब हो गया है। सरकार को इसी सत्र में वह बिल लाना चाहिये था। श्री पन्त को मालूम है कि कुछ दिन पहले वहां के एक प्रतिनिधि-मंडल ने विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्द से जल्दी मणिपुर को भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिये एक बिल लायेगी।

आजादी के बाद से हम लोग सरकार से यह मांग करते आये हैं कि हिमालय के साथ-साथ रहने वाले सभी पहाड़ी लोगों के विकास के लिये एक क्रैश प्रोग्राम बनाया जाये, ताकि उन लोगों के मन में हमारे देश के प्रति ममता जगे। खास तौर पर तिब्बत पर चीन का अधिकार होने के बाद हमने यह मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस महत्वपूर्ण समस्या को नजर-अन्दाज किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के एक पूर्ण राज्य बनने और वहां विधान सभा बनने के बाद वहां की राज्य सरकार अपने क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के उत्थान और प्रगति के लिये खास कार्यक्रम बनायेगी।

आप जानते हैं कि इस पहाड़ी इलाके से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का बाराहोती क्षेत्र है, जिसके बारे में चीन ने दावा किया था कि वह उसका हिस्सा है। मुझे याद है कि उस समय के प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह एक विवादास्पद इलाका है, जब कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री, डा० सम्पूर्णानन्द का कहना था कि बाराहोती इस देश का भाग है और वह विवादास्पद क्षेत्र नहीं है। वह

[श्री रबि राय]

इलाका तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि माओत्से-तुंग के मातहत चला गया है । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस मामले में सावधानी से काम ले, और वहां के लोगों के विकास के लिये कुछ काम करके दिखाये, ताकि उनके मन में हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता के प्रति ममता जगे ।

हमारे संविधान में जो गैर-बराबरी की व्यवस्थाएं हैं, उनका नतीजा यह है कि अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश भी एक पूर्ण राज्य बन जायेगा, लेकिन उसमें ग्राम पंचायत और नगरपालिका आदि जो इकाइयां हैं, राज्य सरकार द्वारा उनको पर्याप्त और उचित शक्ति नहीं दी जाएगी । तामिलनाडु और बंगाल आदि में विरोधी दलों की हकूमतें बन गई हैं, लेकिन वहां की ग्राम-पंचायतों और नगर-पालिकाओं में नौकरशाही का बोल बाला है, उनको कोई पावर नहीं दी गई है । मैं उम्मीद करता हूं कि पहाड़ी जनता राज्य सरकार से यह मांग करेगी, यह आन्दोलन शुरू करेगी कि विकेन्द्रित प्रजातंत्र के आधार पर नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को उचित शक्ति दी जाये, ताकि सब लोग अपने-अपने क्षेत्र का समुचित विकास कर सकें ।

हिमाचल प्रदेश की भाषा हिन्दी और पहाड़ी है । मैं चाहूंगा कि पूर्ण राज्य और विधान सभा बनने के बाद वहां का सारा काम-काज और विश्वविद्यालय तथा कालेजों की पढ़ाई-लिखाई हिन्दी माध्यम से हो वहां से अंग्रेजी का तत्काल बहिष्कार किया जाये, ताकि वहां की जनता यह महसूस करे कि उनकी मातृभाषा सरकार के काम-काज में प्रयुक्त की जा रही है ।

मैं हिमाचल प्रदेश के बाशिन्दों को फिर बधाई देता हूं कि बहुत दिनों तक आन्दोलन करने के बाद आज उनको सफलता मिली है । संसद के लिये भी यह एक सुनहरा दिन है । मैं संसद की ओर से भी उनको बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आगे चलकर उनका राज्य हिन्दुस्तान में एक अच्छा राज्य बनेगा । मैं फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : स्पीकर महोदय, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सालों तक इकट्ठे रहे हैं । इसलिये आज हिमाचल प्रदेश के अपने भाइयों की खुशी में हम लोग भी शरीक हैं । आज हम उनको बधाई देते हैं कि हिमाचल प्रदेश को मुकम्मल स्टेटहुड मिली है ।

मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के सामने कोई इक्तसादी कठिनाई आयेगी । बिल्कुल नहीं आयेगी । जब पंजाब और हरियाणा की अलग स्टेट्स बनी थीं, तब भी यही दलीलें दी जाती थीं कि हरियाणा भूखों मर जायेगा, पंजाब वायबल यूनिट नहीं है, वह नहीं चल सकेगा, वगैरह ये बोदी दलीलें हैं । हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत जफा, ईमानदार सच्चे और बहादुर लोग हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के हैं । मैं आपको खुश करने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह हकीकत है कि आज पंजाब हिन्दुस्तान की बेहतरीन स्टेट है, अव्वल नम्बर की स्टेट है, जैसे कि हरियाणा—और महाराष्ट्र भी—बेहतरीन स्टेट्स हैं । मुझे मुकम्मल विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश कुछ दिनों में ही इकानोमिक वायाबिलिटी के लिहाज से एक आला स्टेट बन जायेगा । यह हो सकता है कि उसके डेवेलपमेंट के लिये शुरू-शुरू में सेंटर की तरफ से रीसोर्सिज का इन्तजाम करना पड़े । वहां की फारेस्ट वैल्थ और मिनरल रीसोर्सिज और बिजली का बहुत विकास हो सकता है । उससे सारा नेशन का फायदा होगा । पंजाब और हरियाणा के हम लोग

हिमाचल प्रदेश के बहुत मशकूर हैं, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स को, और राजस्थान को भी सारा पानी और बिजली हिमाचल प्रदेश से मिलती है। अगर हिमाचल प्रदेश भाखड़ा के लिये जमीन न देता, जहां से उखड़े हुए लोगों को अभी तक बसाया नहीं जा सका है, तो ये स्टेट्स पानी और बिजली से महरूम रहतीं। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमारे लिये कुर्बानी की है। पंजाब और हरियाणा के घर-घर में बिजली आ गई है, इसके लिये हिमाचल प्रदेश का पंजाब और हरियाणा के लोगों पर अहसान है।

अभी एक माननीय सदस्य ने आपस में लड़ाने की बात कही। "भुस में आग लगा जमालो दूर खड़ी।" जनसंघ ने आज इस मामले में भी आग लगाने वाली बात की है। मेरे दोस्त इसमें ख्वाम-ख्वाह पालिटिक्स ले आये हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के साथ होशियारपुर का इलाका या कालका का हिस्सा हरियाणा से हिमाचल प्रदेश को दिया जाना चाहिये। (**व्यवधान**) श्री मधोक ने जानबूझ कर यह बात कही। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि जो भाई और पड़ोसी की तरह रहे हैं, अपने हलवे मांडे के लिये और अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिये उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की जाये। यह राजनीति नहीं चलानी चाहिये। यह देश के हित, और इन्सानियत और भाईचारे के भी, खिलाफ है। मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि मेरा जाती खयाल यह है कि ये बाउंडरी के झगड़े खत्म होने चाहियें। कितना पंजाब का इलाका हिमाचल में है, कितना हिमाचल का इलाका पंजाब में है, कितना पंजाब का इलाका हरयाने में चला गया कितना हरयाने का पंजाब में चला गया, हम तंग आ गये हैं इस तरह की बातों से.. (**व्यवधान**) ..मैं यहां की बात कर रहा हूं, मैसूर और महाराष्ट्र की बात नहीं करता। मैं तो यह कहता हूं कि हम इतने दिनों तक इकट्ठा रहे हैं भाई-भाई की तरह से, कोई बात नहीं किसी के पास ज्यादा चला गया, किसी के पास कम चला गया। मैं तो समझता हूं कि कोई अगर इस तरह का हल निकल आए बाउंड्री वाले मामलों के ऊपर चीफ मिनिस्टर आपस में बैठ कर उसे तय कर लें और अवाम तक यह झगड़े न जायं, मधोक साहब जैसे भाइयों को जिसमें यह मौका न मिले कि आपस में भाई-भाई टकराएं और और यह लोग उससे फायदा उठाएं, अगर ऐसा कुछ हो जाये तो बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि इस तरह का दिन आना चाहिये और वह दिन आ गया है। आज के दिन मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। इस स्टेट में बड़ी पोटेंशियलिटी है। हिमाचल प्रदेश और खास तौर से कुल्लू इस देश में ही नहीं दुनिया में एक बेनजीर खूबसूरत इलाका है। इसी तरह से शिमला और कांगड़ा वैली है। मैं तो कहता हूं कि यह हिन्दुस्तान का स्विटजरलैंड बन सकता है। यह जो चन्द डिफिकल्टीज शुरू-शुरू में आया करती हैं वह डिफिकल्टीज भी कोई नहीं हैं और अगर कोई डिफिकल्टी है तो वह हमारा अंग है और बार्डर स्टेट होने के नाते उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हम उन डिफिकल्टीज को दूर करेंगे इस मौके पर मैं आज हिमाचल प्रदेश के अपने भाइयों को, वहां के चीफ मिनिस्टर को और कैबिनेट को, वहां की पार्टी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े पीसफुल वे में सारा काम करा कर हिमाचल प्रदेश के लिये स्टेटहुड हासिल किया है, इसके लिए वह बेहद मुबारिकबाद के मुस्तहक हैं। मैं आपका भी बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे टाइम दिया।

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad): Mr. Speaker, Sir, I have been a supporter of small States. Before the States Reorganisation Commission, when I gave my evidence, I proposed that there should be a number of small States just like the United States of America. The obstruction was the big unit of Uttar Pradesh. Nobody wanted to

[Shri Bakar Ali Mirza]

break Uttar Pradesh and because of that the whole mentality of the States Reorganisation Commission was so fashioned. I therefore naturally welcome small States, but there must be some principle on which a State is formed. What is the principle on which Himachal Pradesh is formed ? Mr. Pant has simply stated that for the pace of development, they kept Himachal Pradesh separate, though its population was only nine lakhs. Now, it is 28 lakhs. If the pace of development is the basis for the formation of a new State, then, why not this principle be applied to 150 lakhs of people of Telengana who are also backward? Therefore, the principle on which it is being advocated is not understandable.

Secondly, the States Reorganisation Commission has mentioned language as a principle for the formation of States. That principle also does not apply here. Really, what will happen—this I would like the Home Minister to consider seriously—is this. Dogri or Pahadi as they call it is the language of that area, that will be developed. There are other areas also which have the same language. Therefore, there will be another Dogri State. My friend Shri Malhotra got very angry about Jammu and Kashmir. I have read sometime back that the Maharaja of Kashmir himself was in favour of forming a Dogri State with Jammu as the centre. That may not be so, but that idea was prevalent. Therefore, what we are doing is, really you are not doing service to Hindi but you are creating a new language-area in that State or area, which is a border State. The two great wars were largely possible because Belgium was such a small territory in the way that could be crossed over by the army and you are creating a small State in a vulnerable border area of 28 lakhs of people. Did they consult the Defence Ministry before taking this decision ? On the one hand, for 30 lakhs of people, you are creating a State. You want to introduce the Bill, consider it the next day and get it passed in the Rajya Sabha on the third day. On the other hand, I have been pressing the Home Ministry that the Lokpal Bill is pending with the Rajya Sabha from 13th August 1969, but nothing has happened in regard to it.

What you apply to small States like Himachal Pradesh should also apply to Telengana. In one case you are creating a small State and in the other case, you reply to the people with bullets, prisons and promises. I feel that a separate State of Telengana should be formed and I hope the Home Minister will come with a Bill giving Statehood for Telengana.

श्रीमती लक्ष्मीबाई (मेडक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देती हूं कि आप ने मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दिया। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बधाई देती हूं कि वह यह बिल लाई। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं और इस के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार और वहां की प्रजा को भी मुबारिकबाद देती हूं। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे सादे हैं, और बड़े अच्छे ढंग से उन लोगों ने काम किया है। लेकिन एक बात यह है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करती हूं कि अभी तक तो आपने हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरीटरी रख कर उसे बच्चे की तरह गोद में पाला है, तो अब एकदम से उस को ऐसे ही छोड़ना नहीं, उस को पीछे पीछे देखते रहना और उस की फाइनेंनशियल हेल्प करते रहना क्योंकि बच्चा एकदम बड़ा हो कर हाथ पैर नहीं उठाएगा। वहां पर हिमाचल प्रदेश में मैं देख कर आई हूं, वहां की बहनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहां रास्ते नहीं होते हैं, पहाड़ों के ऊपर बोझा ले कर वह चलती हैं। तो रास्ते के लिए वहां बहुत पैसा देने की आवश्यकता है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि यह बोर्डर एरिया है। बोर्डर एरिया है तो उसको चार पांच साल तक ज्यादा मदद, ज्यादा फाइनेंशिल मदद देते रहना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। यहां इसी संबंध में मौका मिला है तो आपके जरिए से मैं अपने स्टेट मिनिस्टर को बधाई देती हूं। वह बहुत अच्छा काम करते हैं। उन के पिता जी को हमने देखा है गोविन्द वल्लभ पंत को यह बहुत अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सभी उनको आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं और सब लोग उन

को बधाई दे रहे हैं। आज हमको खुशी है हिमाचल प्रदेश अपना स्टेट का स्टेटस ले रहा है।

इस मौके पर यह देख कर हमारे दिल में भी यह भावना होती है कि हमारी भी अपनी स्टेट बने। अभी हमारी एक बहन बोल रही थीं उन्होंने कहा मणिपुर को स्टेटहुड दो, त्रिपुरा को दो लेकिन तेलंगाना का नाम नहीं लिया। मैं जानना चाहती हूं कि डेढ़ करोड़ की आबादी का तेलंगाना क्या इस काबिल नहीं है कि वह स्टेट बन सके? लेकिन यह इसे एक पालिटिक्स बनाकर बैठे हैं वासुदेवन नायर और बैनर्जी साहब....

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): आप मांग कर तो देखिए, सब देंगे।

श्रीमती लक्ष्मी बाई: कोई देने वाला नहीं है लेकिन हम लेने वाले हैं। आप अगर नहीं देंगे तो हम ले के ही रहेंगे। आप चल कर देख लीजिए, इस बीच में दो एम० एल० ए० की सीट्स का एलेक्शन हुआ उस में तो आप को मालूम है क्या रिजल्ट रहा। दोनों सीटें सेपरेट तेलंगाना को मिली हैं। हैदराबाद की पापुलेशन 18 लाख है, वहां पर कारपोरेशन का एलेक्शन कराने की सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और उसको आर्डिनेंसेज से आगे बढ़ा रही है। तो मैं इस में सब लोगों की मदद चाहती हूं कि सब लोग सम्मिलित रूप से तेलंगाना की स्टेट बनाने की हमारी मांग का समर्थन करें। इस मौके पर मैं हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए सब लोगों को मुबारिकबाद देती हूं। हमारा रास्ता भी साफ है। मैं आप सब लोगों को उस दिन फिर बधाई दूंगी जब आप लोग ऐसे ही हमारी मदद सेपरेट तेलंगाना के लिए करेंगे और आप को हैदराबाद में दावत भी दूंगी।

SHRI S. KUNDU (Balasore): Sir, today is a great day of rejoicing on the birth of the new State in India called Himachal Pradesh. I consider that it is a matter for rejoicing not only for the people of Himachal Pradesh but also for the people of India. We are happy and proud that another State has joined the comity of States of the Indian Union. I consider that I am as much a representative of Himachal Pradesh as Shri Mahajan and Shri Virbadhra Singh. I am happy that my State of Himachal Pradesh has got its statehood.

To be very frank, I have not seen Himachal Pradesh. But I have seen more of Himachal Pradesh through a film which was shown to Members of Parliament. It has great treasure, rich potentialities and vast natural resources. So, it can become a wealthy State of India. When a small country like Israel with a population of three million is drawing six lakhs of tourists a year, the whole of India is not able to draw more than two lakhs of tourists. If properly developed, it is quite possible that Himachal Pradesh would earn crores of rupees as foreign exchange by drawing lakhs of tourists to Himachal Pradesh because it is a beautiful country with snow-capped mountains, blue waters and velvet-green meadows. It is indeed a beautiful place.

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade): May be, he is fed up with Orissa.

SHRI S. KUNDU: I am as much in love with Kerala as with Orissa.

MR. SPEAKER: If you are a newly-married person, you should go there for honeymoon.

SHRI S. KUNDU: The State of Himachal Pradesh will have a lot of liabilities. I hope they will stand with courage and conviction to meet this challenge of the new liabilities. I am happy they have got released from this system of administration by the Under Secretary of Home Ministry. This has opened a new vista in Indian history. The concept of re-organisation of States only on the basis of language has become old. So, problems of areas like Telengana and Manipur could be considered a new. Fresh thinking is necessary to look into the problems and grievances of other areas. The idea that if you grant statehood to a small area it will disintegrate is a dangerous one to which I do not subscribe. If there are special problems in particular areas

[Shri S. Kundu]

and if they are not identified by those who live in that area, that will lead to disintegration. So, we would welcome the emergence of Manipur, Tripura, Meghalaya and also Pondicherry.

I would not go deep into all these problems but I will take friends from Himachal Pradesh through some of the amendments which I have given notice of. As Swamiji said very clearly, some of the issues must be raised here. One of the issues which I have tried to raise through my amendments is how less the expenditure of this State should be.

MR. SPEAKER : That you may try later on.

SHRI S. KUNDU : At least the luxurious and extravagant expenditure which we poor people of this country have to meet for the office of the Governor could be shared between two States. Therefore I have given notice of an amendment saying that there would be one Governor for Haryana and Himachal Pradesh and that the expenses would be shared by the two States.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAGHBIR SINGH PANJHAZARI) : You can say, Punjab also.

SHRI S. KUNDU : I could not venture about Punjab because of the Speaker and yourself.

I would plead with the Minister to accept it. I have discussed it with some of the friends from Himachal Pradesh who said that they were prepared to do without any Governor.

Through another amendment, which I have given notice of, I have said that when the Governor authorises expenditure out of the Consolidated Fund of Himachal Pradesh, he must see that not more than 50 per cent is spent from its own resources on establishment. You will be shocked to know that the resources of some of the States are so small that the expenditure on establishment is much more than what they actually raise through their resources. I will take, for instance, the case of Orissa. Its own resources are about Rs. 48 crores and the expenditure on bureaucracy and establishment is Rs. 61 crores or Rs. 62 crores. The other things are met by getting some aid and its quota of Central taxes from the Government of India. Therefore I say that if you want to make Himachal Pradesh a really beautiful and economically viable State, you must draw that line and you must say that not more than 50 per cent of the expenditure from its own resources should be spent on establishment.

Through you another amendment I have said that within four months of the Bill being passed into an Act, they should go in for a general election. The people must elect their new Members.

SHRI PREM CHAND VERMA : Why ?

SHRI S. KUNDU : There are many very good members and, I am sure, if they hold an election they will again be returned to the Assembly. I have no hesitation and doubt about it.

With all these things, I again wish all the best for Himachal Pradesh. I hope, they will join the other States of India to make India a rich and prosperous country.

SOME HON. MEMBERS : *rose*—

MR. SPEAKER : You have not given your names and then you suddenly get up. I have already accommodated one or two Members besides your list. I am not going to allow more...... (*Interruption*). The hon. Minister.

19.00 hors.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जितने माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया, सभी ने हिमाचल प्रदेश के राज्य बनने पर वहां की जनता को, वहां के नेताओं को और इस सदन में हिमाचल प्रदेश के सदस्यों को बधाई दी और मैं भी उनके साथ हिमाचल प्रदेश की जनता को, वहां के मुख्य मंत्री को, वहां की असेम्बली के सदस्यगणों को और हिमाचल

प्रदेश के अपने साथियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। आज का दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। एक बहुत लम्बा रास्ता तय करके वह अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं और बहुत दिनों से उनकी इच्छा रही है कि अन्य राज्यों की भांति उनका राज्य हो, अपना कारोबार खुद चलाने का उन्हें अधिकार मिले। इससे जिम्मेदारी भी उन पर आती है और उस जिम्मेदारी की ओर कई माननीय सदस्यों ने इशारा भी किया है। लेकिन आज हम सबको इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी मंजिल तक पहुंचने में तोड़-फोड़ का रास्ता अख्तियार नहीं किया। शांतिमय ढंग से उन्होंने अपनी बात उठाई और सारे देश के सामने एक मिशाल पेश की कि किस तरह से कानूनी ढंग से, जनतांत्रिक ढंग से और संवैधानिक ढंग से जनता की इच्छा को पूरा किया जा सकता है।

जहां तक उन मुद्दों का प्रश्न है जोकि इस विधेयक से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे कि इस बात की चर्चा की गई है कि वहां की विधान सभा के कितने सदस्य हों—कुछ माननीय सदस्यों ने 60 कहा, कुछ ने 80 कहा और कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनके द्वारा माननीय सदस्य 48 सदस्य वहां पर रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं बहुत सोच विचार कर जो 68 की संख्या पर हम आए हैं वह ठीक है और इसलिए ठीक है कि उससे उन साथियों को भी मौका मिलता है जोकि पार्लमेंन्ट में नहीं आये क्योंकि यहां की 6 सीट्स में 4 सीट्स रह जायेंगी और जो 3 नामिनेटेड मेम्बर्स हैं उनकी जगह भी तीन आदमी आ जायेंगे। चूंकि उनका मल्टिपुल होना जरूरी है इसलिए 68 की संख्या रखी गई है। जहां तक मैं समझा, यह सारा सदन सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर इसका समर्थन करता है। आगे के लिए डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जाकर अपनी बात रख सकते हैं ताकि आगे के लिए डिलिमिटेशन कमीशन जितनी संख्या माने उतनी संख्या असेम्बली में हो सकती है।

रंगा जी ने इस बात की चर्चा की कि वहां पर ट्राइबल्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स की रिजर्व्ड सीट्स हैं या नहीं। जाहिर है वहां सुरक्षित सीट्स हैं—शेड्यूल्ड कास्ट्स की 16 और ट्राइबल्स के लिए 3 हैं। और जब कि हिमाचल प्रदेश राज्य बन जायेगा तो जो हमारे संविधान में फिफ्थ शेड्यूल है वह भी वहां पर लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति उसको लागू कर सकते हैं। वे ट्राइबल एरिया को शेड्यूल एरिया करार कर सकते हैं। इस तरह से यह फिफ्थ शेड्यूल को जो विशेष प्राविधान है उनको भी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पर लागू किया जा सकता है।

जहां तक सीमावर्ती क्षेत्रों या ट्राइबल क्षेत्रों के विकास का प्रश्न है, राज्य सरकार को अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेनी होगी। हां, केन्द्र जो सहायता कर सकता है जैसे कि अन्य स्थानों पर करता है, केन्द्र और योजना आयोग भी इसमें सहायता करने की कोशिश करेंगे।

प्रेम चन्द वर्मा जी ने एक सवाल यह उठाया कि थर्ड पे-कमीशन की जो सिफारिशें हैं वह भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पर लागू की जायें। उन्होंने मुझ से पहले चर्चा की थी। वे वहां के कर्मचारियों के नेता हैं। पिछले दिनों जब वहां के कर्मचारियों ने अपनी मांगें खड़ी की थीं तो उस सम्बन्ध में उन्होंने काफी दिलचस्पी ली थी। लेकिन मैंने उनको बताया है कि थर्ड पे-कमीशन की सिफारिशें हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पर इसलिए लागू नहीं हो सकती है कि जब राज्य का दर्जा उनको मिल गया तो राज्य सरकार का ही हक होता है कि अपने कर्मचारियों को क्या दे या क्या न दे। थर्ड पे-कमीशन की सिफारिशें हम न तो उन पर लागू करना चाहते हैं और न लागू कर ही सकते हैं।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

कुछ चर्चा दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में की गई। इसका उत्तर पहले भी दिया जा चुका है। मैं समझता हूं अगर दूसरा उस तरह का राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया तो जहां आज झगड़े नहीं हैं वहां भी झगड़े खड़े होने का अन्देशा है। हमारे देश में इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको हम एक-एक करके हल करते जा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश का बिल आया है, मनीपुर त्रिपुरा के बारे में निर्णय ले लिया गया है और मेघालय के बारे में भी निर्णय लिया जा चुका है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि उसके बारे में भी यहां पर जल्दी से जल्दी विधेयक लायें तो इस पर हम विचार कर रहे हैं, ये पेचीदा सवाल हैं, उसके सभी पहलुओं पर विचार करके यहां पर अवश्य विधेयक लायेंगे।

एक और प्रश्न दिल्ली के हाईकोर्ट के जजेज के बारे में है। महाजन साहब ने क्लाज 22 की यहां पर चर्चा की और शायद हेमराज जी ने भी उसकी चर्चा की। अगर वे उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उस क्लाज 22 में यह नहीं है कि केवल दिल्ली की हाईकोर्ट से ही जजेज ले सकते हैं बल्कि यह है कि अगर लेना चाहें तो दिल्ली से वहां जा सकते हैं या प्रेसीडेन्ट वहां से भेज सकते हैं। यह इनेब्लिंग क्लाज है। इनेब्लिंग क्लाज इसलिए है कि दिल्ली की हाईकोर्ट है उसमें एक बेंच है जिसमें वहां के दो जजेज बैठते हैं लेकिन बाद में वहां पूरी हाईकोर्ट होगी तो कम से कम तीन जजेज बैठेंगे इसलिए कम से कम तीन में से एक जज ऐसा होना चाहिए जिसको काम करने का पुराना अनुभव हो। इसलिए एक पुराना चलता रहे, यह जरूरी लगता है और उसके बाद दूसरे जजेज कहीं से भी जा सकते हैं—इसका अधिकार आज भी है। दूसरे राज्यों से, जहां से चाहें अच्छे जज जा सकते हैं इसलिए इसमें कोई रोक नहीं है। मैं समझता हूं जो आशंका थी वह अब दूर हो गई होगी।

कुण्डू साहब ने कामन गवर्नर के सम्बन्ध में कहा है, लेकिन यहां पर कामन गवर्नर के लिए एग्रीमेंट होता दिखाई नहीं देता। कुण्डू साहब अगर राजी करा ले दोनों राज्यों को तो विधेयक में उसको रखने की जरूरत नहीं है, वह वैसे भी किया जा सकता है।

जहांतक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, चौथी योजना में हिमाचल प्रदेश को जो प्लान असिस्टेन्स दी जा रही है वह दी जायेगी। 104 करोड़ रुपए जो एलोकेट किये गए हैं वह पर-कैपिटा 292 रुपए आते हैं जबकि अखिल भारतीय पर-कैपिटा के आंकड़े 134 रुपए ही हैं। आगे के लिए जैसे अन्य राज्यों के लिए फाइनेन्स कमीशन और नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल विचार करती है वैसे ही इस राज्य के सम्बन्ध में भी विचार करेगी। आखीर में मैं यही कहना चाहता हूं जैसा कि और कई सदस्यों ने भी कहा है कि जितने साधन हिमाचल प्रदेश के लोग और हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने विकास में लगा सके उतना ही अच्छा है। जितने ही साधन वे अपने विकास में लगायेंगे उससे एक तो जो उनके प्राकृतिक साधन हैं जोकि बहुत काफी हैं उनका पूरा उपयोग हो सकेगा हिमाचल प्रदेश का विकास होगा और साथ ही देश को भी शक्ति मिलेगी क्योंकि वह एक सीमावर्ती प्रदेश है।

अन्त में मैं एक बार पुन: हिमाचल प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं और चाहता हूं कि वे तरक्की करें। इस सदन की और मेरी सारी शुभकामनायें वहां की जनता के साथ हैं।

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill to provide for the establishment of the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith, be taken into consideration."

The motions was adopted.

MR. SPEAKER : We go to Clause-by Clause consideration. I find that the Members in whose names some amendments are there are not present in the House. Let us go Clause by Clause.

For Clauses 2 to 4, there are no amendments. The question is :

"That Clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

MR. SPEAKER : The question is :

"That clauses 5 to 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 5 to 9 were added to the Bill.

Clause 10 (Provision as to Legislative Assembly as Constituted on the appointed day).

SHRI S. KUNDU : I beg to move :

Page 4, *after* line 9, *insert* :

"(5) Within four months from the day the Himachal Pradesh gets the State hood after the passing of this Bill to an Act, the General Election will be held in Himachal Pradesh to elect its members to the newly constituted Legislative Assembly." (33)

In this amendment, I have said that within four months they should go in for elections. It is precisely because they have a Union territory assembly now....

MR. SPEAKER : Let him not be very hard on them.

SHRI S. KUNDU : These are brave people. Why should they be afraid of elections ? I do not understand why my Hon. friend Shri Premchand Verma should be so much afraid. I hope the Hon. Minister will accept this amendment.

श्री प्रेम चन्द्र वर्मा : हम कल एलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन तीन महीने वह बर्फ से ढका रहता है ।

अध्यक्ष महोदय : सारी बातें तो हिमाचल प्रदेश की कहीं, अब कुछ थोड़ा सा उनको अफेक्ट करता है तो उनको भी कह लेने दीजिये ।

श्री स० कुण्डू : इसी लिये चार महीना रक्खा, तीन महीना नहीं रक्खा ।

It will take some time to get the President's assent, and then it will be April by that time. Then, it should be possible to hold the elections.

SHRI K. C. PANT : The present Members are also elected on adult franchise. Since it will be very hard on them, I hope Shri S. Kundu, will, as usual, relent.

MR. SPEAKER : We did it earlier also. People who came from other States also, at the time of reorganisation of States had the same privileges. I think the Hon. Member must have been aware of this. Is he pressing his amendment ?

SHRI S. KUNDU : In view of the Hon. Minister's statement that it will be hard on them, I am not pressing it.

MR. SPEAKER : Has the Hon. Member leave of the House to withdraw his amendment ?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

Amendment No. 33 was, by leave, withdrawn.

MR. SPEAKER : I shall now put Clauses 10 to 14 to vote.

The question is :

"That Clauses 10 to 14 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 10 to 14 were added to the Bill.

Clause 15 (Allocation of seats in the Legislative Assembly).

MR. SPEAKER : Shri Virbhadra Singh has an amendment. Is he moving it ?

SHRI VIRBHADRA SINGH : I am not moving it.

SHRI RAGHUBIR SINGH SHASTRI (Baghpat) : If the others are not moving, then I am also not moving.

MR. SPEAKER : I hope Shri S. Kundu is also not moving.

SHRI S. KUNDU : As I always obey you, I am also not moving my amendment.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : To-day is a peculiar day. Only you are moving, but we are all sitting and not moving.

MR. SPEAKER : I thank him very much for this. He has a very fine sense of humour sometimes, which enlivens the whole House. We very much want him to keep on sitting here.

The question is :

"That Clauses 15 to 23 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 15 to 23 were added to the Bill.

Clause 24 (Special provision relating to Advocates and Bar Council)

Amendments made :

At page 8, in line 8, for the brackets and letter "(a)", the brackets and letter "(b)" shall be substituted. (45)

Page 8, line 15, *omit* "in accordance". (51)

(Shri K. C. Pant)

MR. SPEAKER : The question is :

"That Clause 24, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

Clauses 25 to 34

SHRI S. KUNDU : I had given notice of an amendment to Cl. 33. I might be allowed to move it. I want to place it on record.

MR. SPEAKER : I have not got it.

SHRI S. KUNDU : All right.

MR. SPEAKER : The question is :

"That Clauses 25 to 34 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 25 to 34 were added to the Bill.

Clause 35 (Allowances and privileges of Governor of Himachal Pradesh)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 11, line 40, *add* at the end "but not exceeding rupees two thousand per month." (11)

जो विधेयक आज पास हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जब नया राज्य बन रहा है तब सरकार का यह कर्तव्य भी हो जाता है कि जो मौजूदा परिस्थिति है उसके मुताबिक नये कदम भी उठाये जायें, मौलिक कदम उठाये जायें। मेरी समझ में आज समय का तकाजा है कि आमदनी पर सीमा लगाई जाये। आज जो हिमाचल प्रदेश का राज्य बना रहे हैं वहां पर आप का जो गवर्नर होगा उसकी तन्ख्वाह और राज्यों के मुताबिक ही होगी। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम यहां से नई शुरुआत करें, और जो हिमाचल प्रदेश का गवर्नर होगा उसकी तन्ख्वाह कम रक्खें। आज हमारे समाज की मांग है कि हायेस्ट सीलिंग तन्ख्वाह की 2,000 रु० रक्खी जाये। वैसे तो 1,500 रु० ही काफी है लेकिन चूंकि काफी मंहगाई है इसलिए उसको 2,000 भी रक्खा जा सकता है। क्या आप इस तरह से शुरुआत नहीं कर सकते ?

हम एक नया राज्य बना रहे हैं। आज जब आमदनी पर सीलिंग लगाने की बात चल रही है, आर्थिक रूप से प्रापर्टी पर सीमा लगाने की बात कर रहे हैं, जमीन की हदबन्दी की बात कर रहे हैं, तब नये गवर्नर से इस चीज की शुरुआत हो सकती है। अभी कहा गया कि खर्च में कमी करने के लिये दो राज्यों का एक गवर्नर बना दिया जाये। लेकिन मैं समझता हूं इससे एफिशिएन्सी पर चोट पड़ेगी। इसलिये आय पर सीमा लगाना अधिक अच्छा होगा। इसलिये मैंने संशोधन दिया है कि उसकी तन्ख्वाह 2,000 रु० से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। इस तरह से गवर्नर जो होगा वह समाज में एक नया आदर्श उपस्थित करेगा। हमारे समाज में एक मजदूर की आमदनी के मुकाबले में 2,000 रु० भी बहुत ज्यादा है।

मेरा अनुरोध है कि इस संशोधन को स्वीकार कर दिया जाये।

SHRI S. KUNDU : I beg to move :

Page 11, line 40, *add* at the end.

"and the Governor for the State of Haryana should also be authorised to be the Governor of Himachal Pradesh and vice-versa, as the case may be, and the salary, allowances and emoluments etc. of the Governor be shared by the two States as provided in the law". (39)

This is about a common Governor. The Minister has no objection in accepting it. He says so. I hope the Himachal Pradesh Government would also not have any objection in implementing this. In the interest of the economy of the poor State, I would commend this amendment for acceptance.

I want to put it on record that I gave notice of amendment to Clasue 33 at 3 p. m. reading as under :

Page 11, *after* line 17, *insert*—

"Provided further that the Governor while authorising such further expenditure from the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh shall take care to see that not more than fifty per cent of expenditure on establishment is made from the resources raised by taxes by the Government of Himachal Pradesh."

MR. SPEAKER : That Clause has already been passed.

I put amendment No. 11 to the House.

Amendment No. 11 was put and negatived.

MR. SPEAKER : I put amendment No. 32 to the House.

Amendment No. 39 was put and negatived.

MR. SPEAKER : The question is :

"That Clauses 35 to 38 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 35 to 38 were added to the Bill.

MR. SPEAKER : The question is :

"That Clause 39 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 39 was added to the Bill.

Clause 40 (Provision relating to certain Services)

SHRI SHIV CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 14, line 45,

for "three years" *substitute* "five years". (12)

जिस तरह से आई० ए० एस० अफसर तथा पुलिस सर्विस वाले काम करेंगे उसी तरह से सैंट्रल हेल्थ सर्विस वाले भी वहां काम करेंगे और वे डेपुटेशन पर वहां रहेंगे और उसके बारे में आपने यह कहा है कि डैपुटेशन पीरियड जो है वह तीन साल से ज्यादा नहीं होगा। आई० ए० एस० तथा पुलिस के लोगों के बारे में सोचा जा सकता है कि ज्यादा देर तक आप उनको वहां न रहने दें और

[Shri Shiv Chandra Jha]

उनको वापिस बुला लें । लेकिन हैल्थ वाले जो हैं उनके लिए जो आपने तीन साल की मियाद रखी है, वह कम है। अगर आप यह कहते कि और लोगों के मुकाबले में वे तनदुरुस्त ज्यादा रहते हैं, बीमार कम पड़ते हैं, इस वास्ते उनकी जरूरत नहीं है वहां तीन साल के बाद तो हम मान सकते थे। लेकिन ऐसा आप नहीं कहते हैं । उनके वास्ते भी आपने जो यह तीन साल की अवधि रखी है, यह कम है और इसको आप पंचसाल कर दें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: सोचा यह गया है कि तीन साल के अन्दर हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी हेल्थ सर्विस आर्गेनाइज कर लेगी, इस वास्ते तीन साल यहां रखा गया है। अगर उसके बाद भी उनको आवश्यकता होगी तो डेपुटेशन पर वहां वे इनको ले सकते हैं।

MR. SPEAKER : I put amendment No. 12 to the House.

Amendment No. 12 was put and negatived.

MR. SPEAKER : The question is :

"That Clauses 40 to 45 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 40 to 45 were added to the Bill.

Clause 46 (Amendment of Article 210 and Article 239A)

SHRI SHIVA CAANDRA JHA : I beg to move :

Page 16, line 8,

for "twenty-five years" *substitute*

"twenty-two years" (13)

धारा 46 भाषा को लेकर है। संविधान जब बना था तो उसमें व्यवस्था की गई थी कि पंद्रह साल तक अंग्रेजी चलेगी। बाद में इसको दस साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इस तरह से इसको पच्चीस साल कर दिया गया। सारे देश के लिए जिस चीज को आप लागू करना चाहते हैं, वही आप हिमाचल प्रदेश पर भी लागू करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां आप एक नया कदम उठाते। हिमाचल हिन्दी भाषी राज्य है। इसी राज्य से आप इसकी शुरुआत कर सकते थे। यहीं से आप अंग्रेजी के खात्मे की बात को शुरू कर सकते थे। आपको ऐसा करने के लिए एक अच्छा मौका मिला था। पच्चीस साल की जगह अगर बीस साल नहीं तो 21 या 22 साल आप रख सकते थे। यह एक नई चीज थी जो आप शुरू कर सकते थे। चूंकि बीस साल पूरे होने जा रहे हैं। इस वास्ते मैंने संशोधन रखा है कि 22 साल आप कर दें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: जो व्यवस्था इस वक्त है उसी को यहां भी अपनाया गया है। अब हिमाचल प्रदेश के लोग भी जो चाहेंगे वह करेंगे। इस क्लाज के पीछे यही मतलब है।

MR. SPEAKER : I shall put amendment No. 13 to the vote of the House.

Amendment No. 13 was put and negatived.

MR. SPEAKER : I shall put Clauses 46 and 47 to the vote of the House.

The question is :

"That Clauses 46 and 47 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 46 and 47 were added to the Bill.

Clause 48 (Amendment of Act 20 of 1963)

Amendment made :

At page 16, in line 18, for the word "In", the words "On and from the appointed day, in" shall be *substituted.*" (46)

(Shri K. C. Pant)

MR. SPEAKER : The question is :

"That Clause 48, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 48, as amended, was added to the Bill.

Clasuse 48 (Continuances of existing laws and their adaptation)

MR. SPEAKER: Is Shri Shiva Chandra Jha moving his amendments Nos. 14 and 15 to Clause 49 ?

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I move:

Page 16, line 24,

—*for* "a competent"

substitute "its" (14)

Page 16, lines 31 and 32,

—*for* "a competent" *substituted* "its" (15)

क्लाज 49 की सब क्लाज 1 और 2 में हम कम्पीटेंट लैजिस्लेचर की बात करते हैं। इसमें हमने कहा है :

"All laws in force, immediately before the appointed day, in the existing Union territory of Himachal Pradesh....amended by a competent Legislature......"

कम्पीटेंट लैजिस्लेचर का क्या मतलब है ? लैजिस्लेचर हमेशा कम्पीटेंट होती है। आपके कहने का यह अर्थ निकलता है कि वह इन-कम्पीटेंट है। यह एक रिफलैक्शन है लैजिलेचर पर, उसपर एक टिप्पणी है। जो इलैक्टिड बाडी है, यदि आपका जनतंत्र में विश्वास है तो वह कम्पीटेंट ही होगी। आगे चलकर सब क्लाज 2 में भी आपने कम्पीटेंट आथोरिटी की बात कही है। जब आप कम्पीटेंट कहते हैं तो आप उसपर रिफलैक्शन करते हैं, उसको आप बिलिटल करते हैं, उसको लोअर डाउन करते हैं, जो अच्छा नहीं है। इस वास्ते मेरी ये दो एमेंडमेंट्स हैं जिनको आप मान लें।

SHRI K. C. PANT : My Hon. friend proceeds on the assumption that the power to amend the existing laws can only be exercised by the Assembly of the State of Himachal Pradesh. He seems to forget that there are laws relating to the Union list also which are in force in H. P. which cannot be amended by the State Legislature.

MR. SPEAKER : I shall now put amendment No. 14 to the vote of the House.

Amendment No. 14 was put and negatived.

MR. SPEARER : I shall now put amendment No. 15 to the vote.

Amendment No. 15 was put and negatived.

MR. SPEAKER : The question is :

"That Clause 49 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 49 was added to the Bill.

Clauses 50 to 54 were added to the Bill.

MR. SPEAKER : The main hurdles are over now. Now, the First Schedule. To save time, it is much better that both the amendments are put together.

First Schedule

Amendments made :

"At page 17, in line 31, for the words and figure 'In paragraph 4', the following shall be *substituted* :—

'In paragraph 2, for the figure. "XIII", the figure "XIV" shall be substituted, and in paragraph 4' (47)

At page 17, in line 42, for the brackets and letter "(a)", the brackets and letter "(b)" shall be *Substituted.* (48)

(Shri K. C. Pant)

MR. SPEAKER : The question is :

"That the First Schedule, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The First Schedule, as amended, was. added to Bill.

The Second Schedule was added to the Bill.

Third Schedule

Amendments made :

At page 20, in line 21, for the words and figure 'In paragraph 3', the following

[Mr. Speaker]

shall be *substituted* :—

'In paragraph 2, for the figure "XII", the figure "XIII" shall be substituted, and in paragraph 3' (49)

At page 20, in line 32, for the brackets and "(a)", the brackets and letter "(b)" shall be *substituted.* (50)

(Shri K. C. Pant)

MR. SPEAKER : These are certain procedural forms. They could be put together. There is no difference of opinion in the House. I think these little procedural difficulties can be got over.

The question is :

"That the Third Schedule, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Fourth Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Fourth Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. C. PANT : I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : I think I must congratulate you all ; and all the Himachal Pradesh MPs are happy now.

SHRI PREM CHAND VERMA : Yes, Sir.

19.35 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 16, 1970/ Agrahayana 25, 1892 (Saka).